कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1843 /12-1 :देहरादूनः दिनांकः 6 अप्रैल, 2026

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :– **Diversion of Forest Land for Rehabilitation and Upgradation of Single / Intermediate Lane to Two Lane from Existing Chainage Km 74.700 to Km 100.660 (Design Chainage Km 53.365 to Km 78.785 on NH - 507 under EPC mode in the state of Uttarakhand. (Proposal No.: - FP/UK/ROAD/19158/2016) (31.86 Ha.)**

संदर्भः– **Regional Office, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Dehradun Letter No.–8 बी0/यू0सी0पी0/06/81/2020 एम0सी0 Date 17.02.2025।**

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, यमुना वृत्त के पत्रांक 2533/12–1 दिनांक 09.03.2026 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

S.No	General Conditions of In-Principle Approval	Compliance Report
(क०)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।	
1-	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025.	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
2-	प्रतिपूरक वनीकरण/सुदृढीकरण–.	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 63.720 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम पिपिंयारा(13.257है0), भुंडगाँव (1.095है0), कंडारी (15.906है0), खमुंडिमल्ली (5.00है0),कालोजगाँव (13.079 है0), माल्टा (10.117है0) एवं फुवाड गाँव (5.266 है0) में प्रति पूरक वनीकरण/सुदृढीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 3,14,56,652.00 का भुगतान दिनांक 11.04.2025 को उत्तराखण्ड कैम्पा कोष में जमा किया गया है। जिसको नोडल कार्यालय स्तर पर जांच लिया गया है।
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि इसके अनुपालननार्थ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
3-	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल 63.720 है0 सविल सोयम भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के नाम किया जा चुका है। **प्रति संलग्न**
4-	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की	वन संरक्षक के सन्दर्भित पत्र अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित भूमि 63.720 है0 का वन विभाग के पक्ष में

	प्रासंगिक धारा(ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–।।/ अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	नामान्तरण/हस्तान्तरण किया जा चुका है एवं इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही गतिमान है।
5-(क)	शुद्ध वर्तमान मूल्य– इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008,24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18-09-2003,5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03-10-2006 एवं 5-3/2007–एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव केतहत 31.86 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वन प्रभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एनपीवी हेतु रु. 41190201.00 की धनराशि दिनांक 11.04.2025 को उत्तराखण्ड कैम्पा कोष में जमा किया गया है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है। शपथ पत्र प्रति संलग्न है।
6-	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 687 वृक्षों (including 190 सैपलिंग्स) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वृक्षों की कटाई हेतु रु0 5,75,050.00 की धनराशि का भुगतान वन निगम के पक्ष में दिनांक 04–09–2025 को किया गया है।
7-	The User Agency shall demarcate and fence the CA area before handing over it to the State Forest Department.	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
8-	The State Forest Department shall grant working permission only after getting CA area fenced by the User Agency.	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
9-	In case the CA rates are revised then the user agency would have to deposit the remaining amount as per the revised rates in the CAMPA fund. The user agency shall submit an undertaking in this regard.	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
10-	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass / overpas अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
11-	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पहाड़ कटान से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण चिंहित डंपिंग स्थलों में ही किया जाएगा । वचन पत्र संलग्न है।
12-	गाईड लाईन्स में दिए गए दिशा निर्देशो के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत्स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी को कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रभागीय

	प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	वनाधिकारी के माध्यम से पारित आदेश की प्रति संलग्न है।
13-	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में Wildlife Mitigation/Mangaement Plan(WLMP) के अन्तर्गत रू0 296.16 लाख एवं Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) के अन्तर्गत रू0 74.04 लाख तथा कुल रू0 3,70,20,000.00 की धनराशि UTR No. (Bank Transaction ID-CNRBR52026021877860435 दिनांक 18.02.2026 के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
14-	राज्य वन विभाग रैखिक(लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
15-	एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
16-	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh&nic&in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित समस्त धनराशि का भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा कोष में ऑनलाईन जमा किया गया है।
17-	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
(ख.)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोग कर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
1-	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
2-	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
3-	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रति पूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप सेवन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वीकृत CA Scheme एंव मांग पत्र के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि (10 वर्ष के अनुरक्षण सहित) रू0 7,26,46,853.00 का भुगतान दिनांक 11.04.2025 को कर दिया गया है।
4-	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम

	अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
5-	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/राज्य वन्य जीवबोर्ड/राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
6-	वैकल्पिक/प्रतिपूरक व्रक्षारोपण क्षेत्र मे पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जायेगी।
7-	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधा रोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
8-	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
9-	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
10-	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
11-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
12-	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
13-	प्रयोक्ता अभिकरण आई आर सीमान दंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
14-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्यु लेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
15-	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
16-	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एंजेंसीं इस शर्त को स्वीकार करती है।
17-	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
18-	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
19-	The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।

	the forest area being diverted for the project, if applicable.	
20-	The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
21-	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
22-	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समय बद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि पहाड़ कटान से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण चिंहित डंपिंग स्थलों में ही किया जाएगा । उक्त स्थलों में आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य किये जायेगे।
23-	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्यसरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
24-	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश(आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) केआदेश(आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।
25-	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघनवन् (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अंर्तगत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त को स्वीकार करती है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1843 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
4. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

87, राजपुर रोड, देहरादून फोन/फैक्स– 0135–2745779 Email add: yamunacircle@gmail.com

पत्रांक– 2533 / 12–1 दिनांक देहरादून 09 मार्च 2026

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– **Diversion of Forest Land for Rehabilitation and upgrading of Single/Intermediate Lane to Two lane from Existing Chainage KM 74.700 to KM 100.660 (Design Chainage Km 53.365 to Km 78.785 on NH-507 under EPC mode in the state of Uttarakhand,- Compliance of the Conditions mentioned in Principle Approval. Proposal No. FP/UK/ROAD/19158/2026)**

सन्दर्भ– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक–8बी/यू0सी0पी0/06/81/2020/एफ0सी0 दिनांक 17.02.2025 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट का पत्रांक–2367/12–1 दिनांक 27.02.2026।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। संदर्भित पत्र से विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में सृजित कमियों का प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट द्वारा निराकरण कर बिन्दुवार आख्या अपने पत्र संख्या–2367/12–1 दिनांक 27.02.2026 (संलग्न) से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है एवं आख्या का परीक्षण इस कार्यालय स्तर से भी कर लिया गया है।

अतः उक्त निराकरण आख्या संस्तुति के साथ मूल में मय संलग्नकों सहित संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

प्रभारी अधिकारी
आ.का.के.

भवदीया,

(कल्याणी)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

13-3-26

पत्रांक 2533 / 12-1 तदृदिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
संरक्षण/भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
प्राप्ति सं0 2171
12-1
20-03-26

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं0– 01375–224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com

पत्रांक– 2367 / 12–1 बड़कोट दिनांक 27 फरवरी / 2026

5366
12–1
5/3/26

सेवामें,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– **Diversion of Forest Land for Rehabilitation and upgradation of Single/Intermediate Lane to Two lane from Existing Chainage KM 74.700 to Km 100.660 (Design Chainage Km 53.365 to Km 78.785 on NH- 507 under EPC mode in the state of Uttarakhand.- Compliance of the Conditions mentioned in in Principle Approval. Proposal No FP/UK/ROAD/19158/2026)**

सामान्य I
वन संरक्षक

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक–8बी/यू0सी0पी0/06/81/2020/एफ0सी0 दिनांक 17.02.2025

यमुना वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून 28/02

महोदया,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयक राष्ट्रीय मार्ग के चौडीकरण कार्य हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी (राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, बडकोट) द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–408/04भू0अ0123(507), दिनांक 24.02.2026 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसके क्रम में अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

S.No	General Conditions of In-Principle Approval	Compliance Report
(क0)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।	
1-	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025.	The user agency accepts this conditions.
2-	प्रतिपूरक वनीकरण/सुदृढीकरण–.	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 63.720 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम पिफियारा(13.257है0),भुंडगाँव(1.095है0), कंडारी(15.906है0), खमुंडिमल्ली(5.00है0),कालोजगाँव(13.079 है0), माल्टा(10.117है0) एवं फुवाड गाँव (5.266 है0) में प्रतिपूरक वनीकरण/सुदृढीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत माँग पत्र रु.31456652.00 का भुगतान दिनांक 11.04.2025 को उत्तरांचल कैम्पा में किया गया है।
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	उक्त अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
3-	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल 63.720 है0 सिविल सोयम भूमि का स्थानान्तरण और परिवर्तन वन विभाग के नाम किया जा चुका है। प्रति संगलन।
4-	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा(ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–।।/ अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट के पत्रांक 3515/12–1 दिनांक 19.05.2025 से आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून को प्रेषित किया गया।
5-	शुद्ध वर्तमान मूल्य–	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या:202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008,24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18-09-	वन विभाग द्वारा प्रस्तुत माँग पत्र आधार पर एनपीवी हेतु रु.41190201.00 दिनांक 11.04.2025 को उत्तरांचल कैम्पा को किया गया है।

Hp dexton DM

-	2003,5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03-10-2006 एवं 5-3/2007–एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव केतहत 31.86 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है। शपथ पत्र प्रति संगलन ।
6-	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 687 वृक्षों (including 190 सैपलिंग्स) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वृक्षों की कटाई हेतु रु0 5,75,050–00 DLM टोन्स पुरोला को दिनांक 04–09–2025 को भुगतान कर दिया गया है।
7-	The User Agency shall demarcate and fence the CA area before handing over it to the State Forest Department.	The user agency accepts this conditions.
8-	The State Forest Department shall grant working permission only after getting CA area fenced by the User Agency.	The Fencing work of CA area has been completed by user Agency.
9-	In case the CA rates are revised then the user agency would have to deposit the remaining amount as per the revised rates in the CAMPA fund. The user agency shall submit an undertaking in this regard.	The user agency accepts this conditions.
10-	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass / overpass अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	The user agency accepts this conditions.
11-	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	पहाड़ कटान से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण चिंहित डंपिंग स्थलों में ही किया जाएगा । वचन पत्र सलगन ।
12-	गाईड लाईन्स में दिए गए दिशा निर्देशो के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत्स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित आदेश की प्रति सलगन है।
13-	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	उक्त शर्त के अनुपालन में Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) के अन्तर्गत रू0 296.16 लाख एवं Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) के अन्तर्गत रू0 74.04 लाख तथा कुल रू0 3,70,20,000.00 की धनराशि UTR No. (Bank Transaction Id) –CNRBR52026021877860435 दिनांक 18.02.2026 के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
14-	राज्य वन विभाग रैखिक(लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
15-	एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
16-	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल(https://parivesh&nic&in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कुल 63.720 है0 सिविल सोयम भूमि का स्थानान्तरण और परिवर्तन वन विभाग के नाम किया जा चूका है। प्रति संगलन ।
17-	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
(ख.)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोग कर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण– II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
1-	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।

2-	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
3-	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रति पूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप सेवन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	स्वीकृत CA Scheme एंव मांग पत्र के अनुसार रू0 7,26,46,853.00 का भुगतान दिनांक 11.04.2025 को कर दिया गया है।
4-	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हों।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
5-	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/राज्य वन्य जीववोर्ड/राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
6-	वैकल्पिक/प्रतिपूरक व्रक्षारोपण क्षेत्र मे पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी है ।
7-	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधा रोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
8-	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
9-	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
10-	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
11-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
12-	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearing अंकित हों।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
13-	प्रयोक्ता अभिकरण आई आर सीमान दंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
14-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्यु लेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
15-	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
16-	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
17-	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
18-	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
19-	The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
20-	The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
21-	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
22-	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समय	पहाड़ कटान से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण चिंहित डंपिंग स्थलों में ही किया जाएगा । उक्त स्थलों में आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य किये जायेगे।

	बद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
23-	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्यसरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
24-	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश(आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) केआदेश(आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
25-	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघनवन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अंर्तगत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।

अतः उपरोक्त के क्रम में प्रयोक्ता ऐजेन्सी से प्राप्त अनुपालन आख्या संलग्न कर महोदया की सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

प्रतिलिपि :– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, बडकोट को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वनप्रभाग, बडकोट।

Office of the Executive Engineer
National Highway Division
PWD Barkot, (Uttarkashi)

Website- http://pwd.uk.gov.in , e-mail: eenhpwdbarkot@gmail.com,
Tel/Fax: 01375-224426

Letter No: - 408 /04भू०अ०123(507) Date: 24.02.2026

To

Divisional Forest Officer
Upper Yamuna Forest Division,
Barkot, Uttarkashi.

Subject: - Diversion of Forest Land for Rehabilitation and Upgradation of Single / Intermediate Lane to Two Lane from Existing Chainage Km 74.700 to Km 100.660 (Design Chainage Km 53.365 to Km 78.785 on NH - 507 under EPC mode in the state of Uttarakhand. - **Compliance of the Conditions mentioned in In-Principle Approval .**

Proposal No.: - FP/UK/ROAD/19158/2016)

Ref.: - 1) Regional Office, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Dehradun Letter No.–8 बी0/यू0सी0पी0/06/81/2020 एम0सी0 Date 17.02.2025
2) Your Letter No-2615/12-1 Dated Barkot-28/02/2025
3) This office Letter No-552/04 भू०अ०123(507) -29/04/2025

Sir,

With respect to the subject matter kindly refer to the letter under reference, vide which in-principle approval of central government has been conveyed for diversion of forest land. Additionally, vide Chalan under Application No.61 ref.2), a demand of ₹ 7,26,46,853.00 towards compensatory levies, including Compensatory Afforestation (C.A.) and Net Present Value (N.P.V.), was approved, and the proposal was accordingly forwarded on the Parivesh portal for payment by the Nodal Officer, Forest Department, Dehradun.

In compliance with the aforementioned directives, the user agency has duly remitted the amount of ₹ 7,26,46,853.00 towards the compensatory levies, and the payment details have been duly updated on the Parivesh portal (*payment details attached- Annexure-I*). Furthermore, the mutation and transfer of the 63.720 ha. land identified for Compensatory Afforestation have also been completed by the user agency (*letter attached- Annexure-II*). The compliance report for the previously mentioned conditions was sent in hard copy through this office's letter number 552/04 Bhumi Adhigrahan 123 (507) dated 29/04/2025, which could not be uploaded online due to technical reasons. In addition to the above, the compliance report regarding all the general and specific conditions mentioned in the in-principle approval letter is being submitted as follows: -Apart from the aforementioned, the compliance report regarding all the general conditions and specific conditions stipulated in the In-Principle approval letter is being submitted as follows: -

S.No	General Conditions of In-Principle Approval	Compliance Report
(क०)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।	
1-	This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025.	The user agency accepts this conditions.
2-	प्रतिपूरक वनीकरण/सुदृढीकरण–.	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 63.720 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम पिफियारा(13.257है0),भुंडगाँव(1.095है0), कंडारी(15.906है0), खमुंडिमल्ली(5.00है0),कालोजगाँव(13.079 है0), माल्टा(10.117है0) एवं फुवाड गाँव (5.266 है0) में प्रति पूरक वनीकरण/सुदृढीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत माँग पत्र रु.31456652.00 का भुगतान दिनांक 11.04.2025 को उत्तंराचल कैम्पा में किया गया है।
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र,	उक्त अनुपाल्ननार्थ आवश्यक कार्यवाही

	प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	की जाएगी।
3-	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल 63.720 है0 सिविल सोयम भूमि का स्थानान्तरण और परिवर्तन वन विभाग के नाम किया जा चूका है। प्रति संगलन।
4-	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा(ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–।।/ अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है। अवशेष कार्यवाही वन विभाग के स्तर से की जानी है ।
5-(क)	शुद्ध वर्तमान मूल्य– इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या:202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008,24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18-09-2003,5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03-10-2006 एवं 5-3/2007–एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव केतहत 31.86 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन विभाग द्वारा प्रस्तुत माँग पत्र आधार पर एनपीवी हेतु रु.41190201.00 दिनांक11.04.2025 को उत्तंराचल कैम्पा को किया गया है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है। शपथ पत्र प्रति संगलन ।
6-	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 687 वृक्षों (including 190 सैपलिंग्स) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वृक्षों की कटाई हेतु रु0 5,75,050–00 DLM टोन्स पुरोला को दिनांक 04–09–2025 को भुगतान कर दिया गया है।
7-	The User Agency shall demarcate and fence the CA area before handing over it to the State Forest Department.	The user agency accepts this conditions.
8-	The State Forest Department shall grant working permission only after getting CA area fenced by the User Agency.	The Fencing work of CA area has been completed by user Agency.
9-	In case the CA rates are revised then the user agency would have to deposit the remaining amount as per the revised rates in the CAMPA fund. The user agency shall submit an undertaking in this regard.	The user agency accepts this conditions.
10-	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass / overpass अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	The user agency accepts this conditions.
11-	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	पहाड़ कटान से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण चिंहित डंपिंग स्थलों में ही किया जाएगा । वचन पत्र सलगन ।
12-	गाईड लाईन्स में दिए गए दिशा निर्देशो के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत्स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित आदेश की प्रति सलगन है।
13-	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	उक्त शर्त के अनुपालन में Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) के अन्तर्गत रू0 296.16 लाख एवं Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) के अन्तर्गत रू0 74.04 लाख तथा कुल रू0 3,70,20,000.00 की धनराशि UTR No. (Bank Transaction Id) –CNRBR52026021877860435 दिनांक 18.02.2026 के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।

14-	राज्य वन विभाग रैखिक(लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
15-	एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
16-	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल(https://parivesh&nic&in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कुल 63.720 है0 सिविल सोयम भूमि का स्थानान्तरण और परिवर्तन वन विभाग के नाम किया जा चूका है। प्रति संगलन ।
17-	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
(ख॰)	राज्य वन विभाग द्वारा उपयोग कर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण– ॥ अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
1-	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
2-	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
3-	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रति पूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप सेवन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	स्वीकृत CA Scheme एंव मांग पत्र के अनुसार रू0 7,26,46,853.00 का भुगतान दिनांक 11.04.2025 को कर दिया गया है।
4-	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
5-	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/राज्य वन्य जीवबोर्ड/राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
6-	वैकल्पिक/प्रतिपूरक व्रक्षारोपण क्षेत्र मे पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी है ।
7-	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधा रोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
8-	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
9-	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
10-	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
11-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
12-	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearing अंकित हों।	कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी है ।
13-	प्रयोक्ता अभिकरण आई आर सीमान दंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
14-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्यु लेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
15-	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
16-	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
17-	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
18-	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
19-	The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project.	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।

	Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.	
20-	The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
21-	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
22-	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समय बद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	पहाड़ कटान से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण चिंहित डंपिंग स्थलों में ही किया जाएगा । उक्त स्थलों में आवष्यक सुरक्षात्मक कार्य किये जायेगे।
23-	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्यसरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
24-	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश(आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) केआदेश(आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।
25-	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघनवन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अंर्तगत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी इन शर्तों को स्वीकार करती है।

In light of the above, I hereby request your esteemed office to kindly grant working permission for the commencement of highway widening work from Km 74.700 to Km 100.660 and take necessary action to grant stage-II approval.

Hence, sent for information and further necessary action.

Encl.-1-Detail of Remittance/Payment of compensatory Levies.
2-Topo Sheet.
3- Geo Reference Map
4- Khatoni Original of CA Land
5- Mutation Letter of DM
6- Mutation Letter of DM
7- Work permission
8- WLMP &SMC- UTR No. (Bank Transaction Id) &CNRBR52026021877860435

Executive Engineer
National Highway Division
P.W.D. Barkot (Uttarkashi).

Letter No: - /04मू०अ०123(507) Date: 24 / 02 / 2026

Copy to: -

1. Chief Engineer - Regional Officer, MoRT&H, Dehradun. (Email - romorthddn@gmail.com)
2. Chief Engineer, NH, PWD Uttarakhand, Dehradun. (Email - cenhddn@gmail.com)
3. Superintending Engineer, 10th NH Circle, PWD, Dehradun. (Email - senh10@rediffmail.com)
4. Chief Conservator & Nodal Officer, Forest Dept. Uttarakhand, Inderanagar Forest Colony, Dehradun. (Email - nodalofficerddn@gmail.com)

Executive Engineer
National Highway Division
P.W.D. Barkot (Uttarkashi).

Office of the Excutive Engineer
National Highway Division
PWD Barkot Uttarkashi
Email - eenhpwdbarkot@gmail.com
Tel / Fax 01375-224478

Subject – Diversion of 31.86 ha. Forest Land for Rehabilitation and Upgradation of single / intermediate Lane Two Lane From Existing Chainage KM 74.700 to Km 100.660 (Design Chainage Km 53.365 to Km 78.785)on NH 507 under EPC Mode in State of Uttarakhand .

Proposal No- FP/UK/Road/19158/2016

Detail of Remittance/ Payment of Compensatory Levies

Total amount Of Demand for CA and NPV	Rs. 7,26,46,853.00
Beneficiary Account Name	Uttaranchal Campa
Beneficiary Account Number	150896119158969
Beneficiary Account IFSC Code	UBIN0996335
Beneficiary Bank Address	Union Bank of India FSC center ,21/1,III floor Jelitta Towers,mission Road Bengaluru-560027
Total Amount Remitted By User Agency	Rs. 7,26,46,853.00
UTR No.(Bank Transition ID)	CNRBR52025041154408566
Date Of Payment	11-04-2025

Executive Engineer
National Highway Division
P.W.D. Barkot (Uttarkashi).

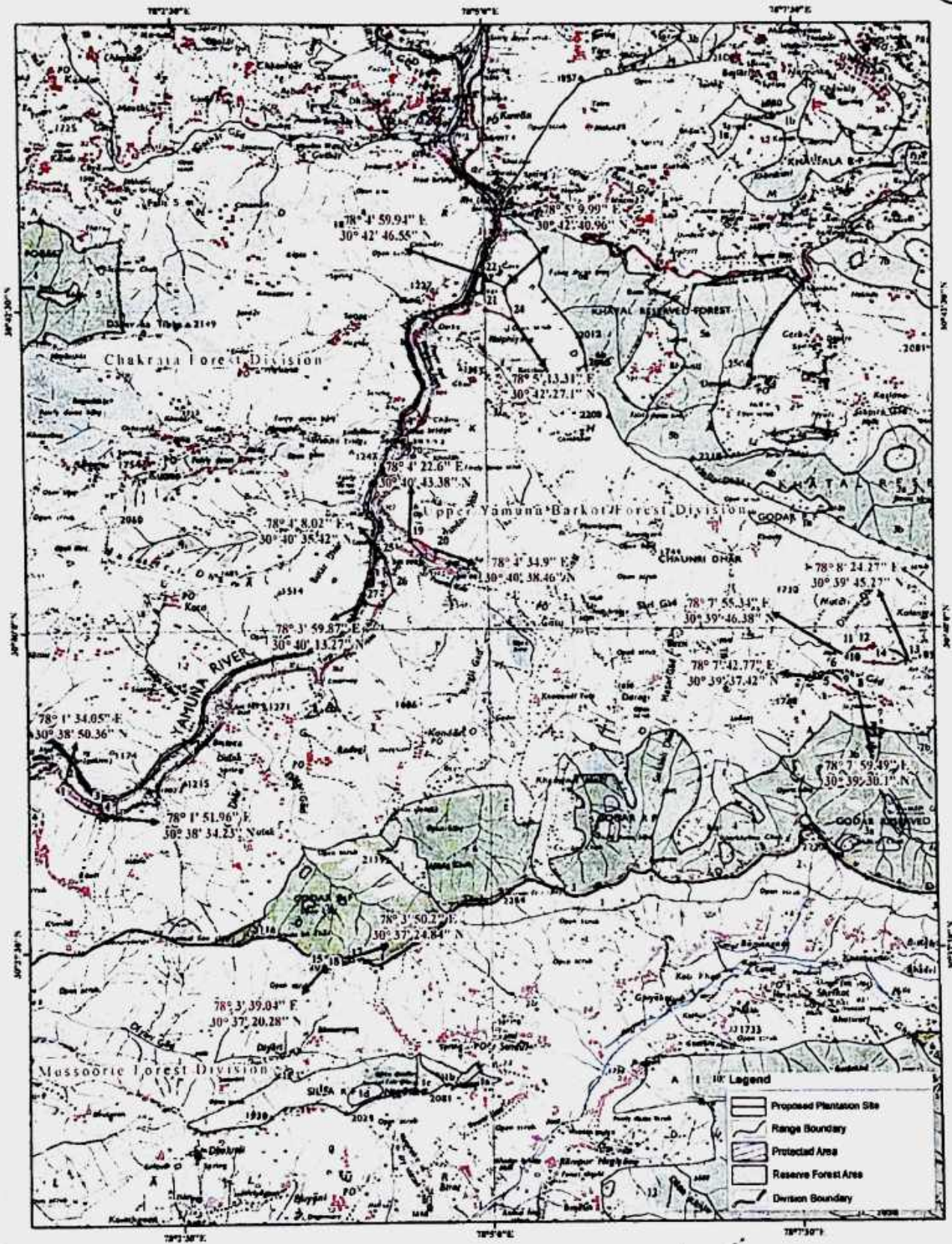

184

सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट, उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट, उत्तरकाशी

पटवारी

पटवारी

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

वन क्षेत्राधिकारी

के किमी0 75.00 से किमी0 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

188

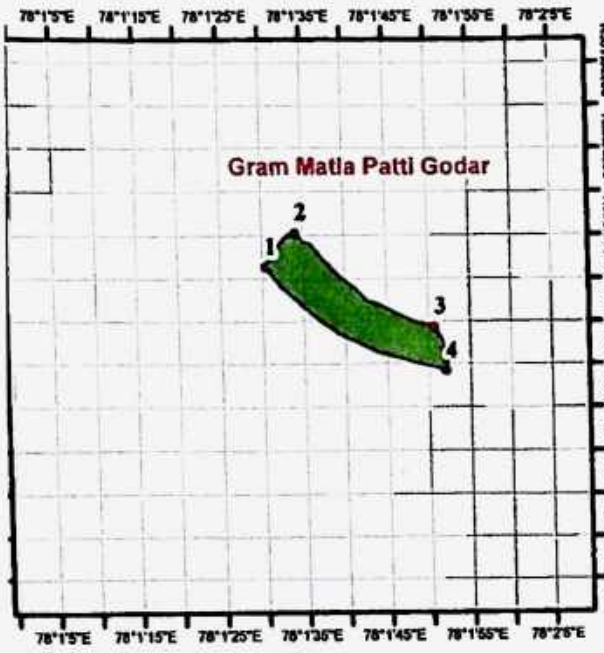

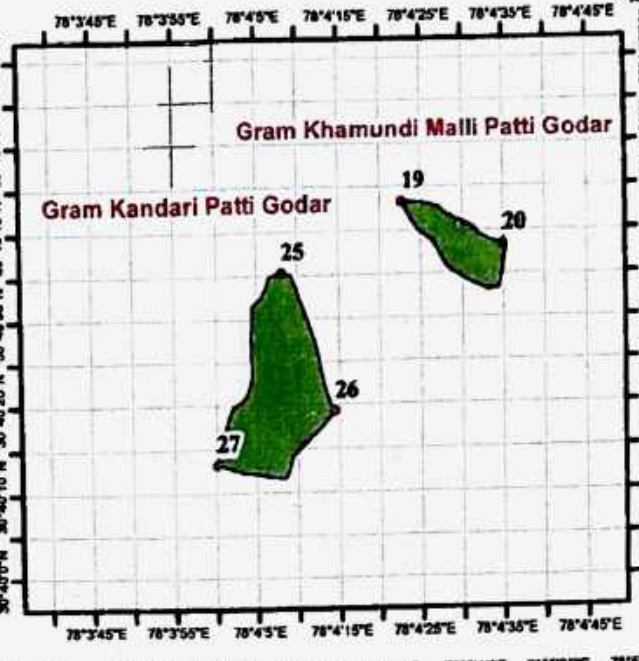

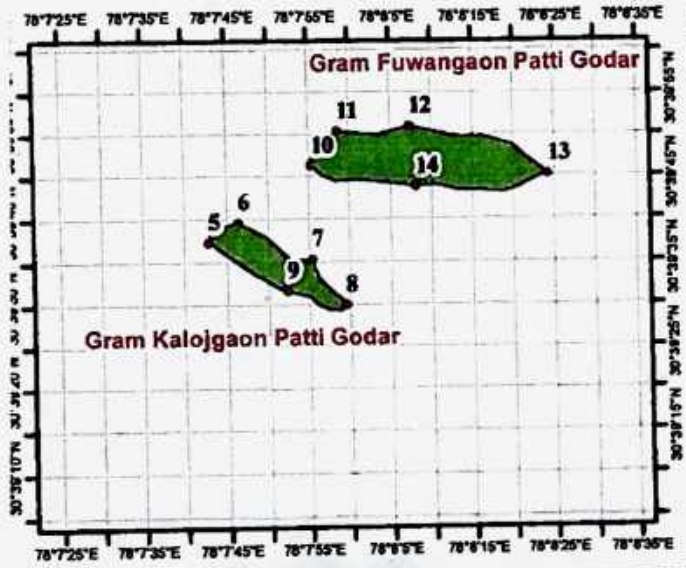

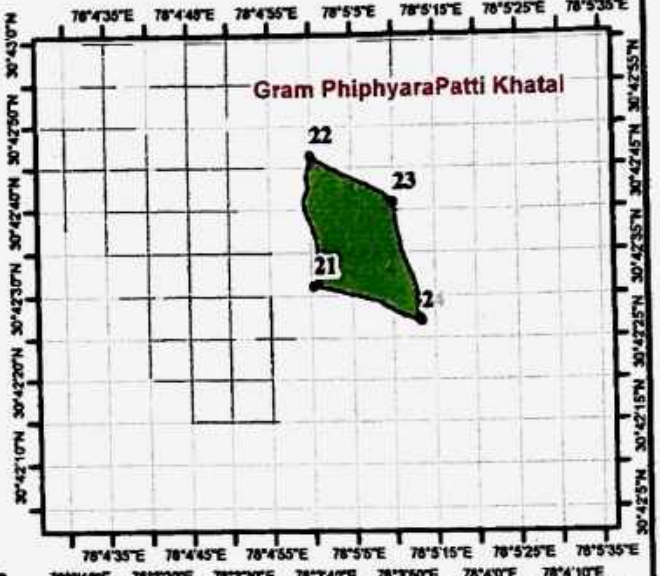

Co-ordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	78° 1' 30.29" E	30° 38' 46.44" N
2	78° 1' 34.05" E	30° 38' 50.36" N
3	78° 1' 50.66" E	30° 38' 39.43" N
4	78° 1' 51.96" E	30° 38' 34.23" N
5	78° 7' 42.77" E	30° 39' 37.42" N
6	78° 7' 46.31" E	30° 39' 39.71" N
7	78° 7' 55.36" E	30° 39' 35.41" N
8	78° 7' 59.49" E	30° 39' 30.1" N
9	78° 7' 52.31" E	30° 39' 31.71" N
10	78° 7' 55.34" E	30° 39' 46.38" N
11	78° 7' 58.62" E	30° 39' 50.54" N
12	78° 8' 7.35" E	30° 39' 51.04" N
13	78° 8' 24.27" E	30° 39' 45.27" N
14	78° 8' 8.05" E	30° 39' 43.85" N
15	78° 3' 38.83" E	30° 37' 21.7" N
16	78° 3' 44.31" E	30° 37' 23.56" N
17	78° 3' 50.2" E	30° 37' 24.84" N
18	78° 3' 39.04" E	30° 37' 20.28" N
19	78° 4' 22.6" E	30° 40' 43.38" N
20	78° 4' 34.9" E	30° 40' 38.46" N
21	78° 5' 0.22" E	30° 42' 31.23" N
22	78° 4' 59.94" E	30° 42' 46.55" N
23	78° 5' 9.99" E	30° 42' 40.96" N
24	78° 5' 13.31" E	30° 42' 27.1" N
25	78° 4' 8.02" E	30° 40' 35.42" N
26	78° 4' 14.37" E	30° 40' 19.31" N
27	78° 3' 59.87" E	30° 40' 13.27" N

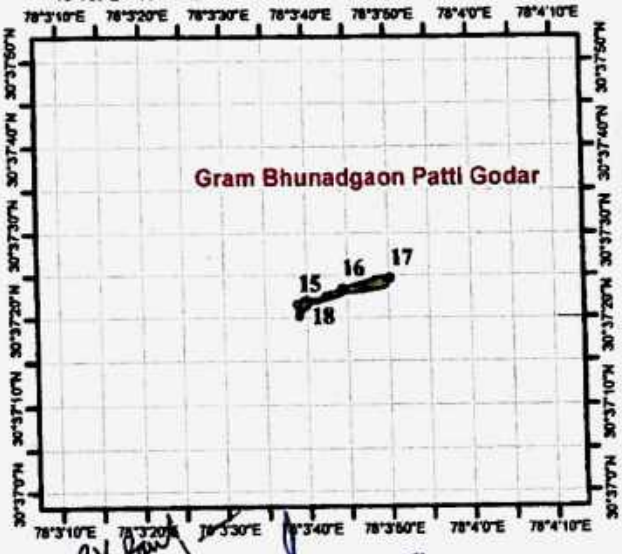

Legend

- GPS Location
- Proposed Plantation Site

सहायक अभियन्ता
खण्ड लो0नि0 वि0
बड़कोट

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट, उत्तरकाशी

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

पटवारी

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज बर्नीगाड़

नकल खतौनी जॉन जेड ए ग्राम नकिफियारा पट्टी-सारल तहसील- बड़कोट जिला- उत्तरकाशी
रा० उ० नि० क्षेत्र - कुँवा फसली वर्ष - 1428 से 1433

मूलेख प्रपत्र सं० प-11

वर्ग 9 खाते के बाहर की भूमि –			
19. उत्तराखण्ड सरकार	2	2.599	
वर्ग 9(3)ङ ※	8	0.186	
	10	0.226	
	x	x	
	x	x	
	951	0.023	मु० आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश सं० 2157/आ० एम० सी० (2012-13) दिनांक 12 फरवरी 2016 के अनुसार ग्राम नकिफियारा की N.Z.A खतौनी में उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ० के खसरा नम्बर 955 रकबा 6.205 हे० व खसरा नम्बर 956 रकबा 7.052 हे० सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी यमुना प्रभाग बड़कोट के नाम हस्तांतरित (भूमान्तरण) किये जाने की स्वीकृति प्राप्त है। तदनुसार अमलदरामद किया।
	✓955	6.205	
	✓956	7.052	
	961	0.058	
	x	x	
	x	x	
	x	x	
	1496	0.048	
	1497	0.056	
	1499	0.001	
खाते का योग	300	140.706	

असल खतौनी से नकल की

Shivam
25/04/2025
रा० उ० नि० कुँवा

नकल खतौनी NZA ग्राम - कण्डारी तहसील - बड़कोट जिला - उत्तरकाशी फसली वर्ष - 1428 से 1433

	वर्ग 9(3)ङ खाते के बाहर की भूमि -			
28.	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ.X.	2	0.144	
		5	0.110	
		9	0.030	
		11	0.001	
		x	x	
		x	x	
		x	x	
		x	x	
		1120	0.436	
		1121	3.906	
		1125	0.063	
		1127	0.046	
		1129	0.035	
		1136	0.259	
		1139	0.029	
		1145	2.176	
		1147	2.928	
		1149	1.750	
		1151	6.519	
		x	x	
		9322	0.083	
	खाते का योग	1750	347.235हे०	

जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश संख्या 8057/आठ-एम.बी०(2012-13) दिनांक 12 फरवरी 2016 के अनुसार ग्राम-कण्डारी के NON-ZA-खतौनी उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ में दर्ज सिविल सोयम भूमि खसरा नं० 1121म०/3.000हे 1136/0.209 1145म/2.000हे०, 1147/2.928हे०, 1149/1.750 1151म/6.019हे - भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदनुसार अमलदरामद हो अमल दरामद किया। ह० अस्पष्ट ARK(B) 20.2.2016.X.

खतौनी नकल असल से तैयार की गई

Ankit Kumar
28/4/2025
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र........कण्डारी..........
तहसील........पी.डी.कोट........
जिला उत्तरकाशी

नकल खतौनी NZA - ग्राम - पुजारगांव तहसील - बड़कोट जिला - उत्तरकाशी फसली वर्ष 1429 से 1434 तक

9.	की 9(3)ङ खाते के बाहर की भूमि				
12.	उत्तराखण्ड सरकार की 9(3)ङ -X-	1	4.617		जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश संख्या
		2	19.613		3638/ग्यारह-विविध दिनांक 13 जनवरी 2024
		3	8.335		के अनुसार ग्राम पुजारगांव के Non ZA खतौनी
		6	0.045		के खाता सं० 12 से उत्तराखण्ड सरकार की 9(3)ङ
		x	x		मे दर्ज सिविल सोयम भूमि खसरा नं० 327 मे॰ 5.266 है०
		x	x		भूमि राजस्व अभिलेखों मे प्रभागीय वनाधिकारी अपर
		x	x		यमुना वन प्रभाग बड़कोट के नाम हस्तान्तरित/
		x	x		नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की
		x	x		गयी है तदानुसार अमलदरामद हो उक्त दरामद
		324	0.043		किया ह० अस्पष्ट रा० उ० नि० गाटू 20.4.2025
		326	0.178		
		327	13.445		
		330	0.553		
		x	x		
		x	x		खतौनी नकल असल से तैयार की गयी।
		x	x		
		x	x		Ankit Kumar 28/4/2025
		x	x		राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र ... तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी
		2264	0.189		
		2266	0.013		
		2268	0.016		
	खाते का योग	381	188.840		

पी०एस०यू० (आर०ई०) 037 रा० परिषद्/332-4-11-2003-(फसली 1411)-50,000 फार्म (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

नक़ल खतौनी NZA ग्राम - खमुण्डी मल्ली तहसील - बडकोट जिला - उत्तरकाशी फसली वर्ष - 1430 से 1435 तक

	वर्ग 9(3)ड. खाते के बाहर की भूमि :-			
13.	उत्तराखण्ड सरकार की 9(3)ड. श्रे.	3	0.001	जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश सं0/2157/आठ-एम. वी. (2012-13) दिनांक 12 फरवरी 2016 के अनुसार ग्राम खमुण्डी मल्ली की NZA खतौनी मे उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़ मे दर्ज सिविल सोयम भूमि खसरा नं० 2663 म-/5.000 है० राजस्व अभिलेखों मे प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट के नाम हस्तान्तरित नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी प्रदानतद्नुसार अमल दरामद हो अमलदरामद किया रा० अ०पत्र R.K(B) 20.2.2016x
		5	0.045	
		9	0.058	
		12	0.023	
		x	x	
		x	x	
		x	x	
		2648	0.832	
		2649	0.285	
		✓2663	6.133	
		2672	0.272	
		x	x	
		x	x	
		x	x	
		x	x	
		x	x	
		x	x	
		x	x	
		4327	0.086	खतौनी नकल असल से तैयार की गई
		4329	0.083	Alok Kumar 13/11/2025
	खाते का योग	1119	105.760 xx	राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र...... तहसील...... जिला उत्तरकाशी

नकल प०ज०अ० खतौनी फसली 1431 से 1436

ग्राम- मातला, पट्टी गमर, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

श्रेणी 9(3) क ग्राम खाते के नाम की कृषि योग्य भूमि :-

3	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)क	1	0.194	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश संख्या 3538/ग्यारह-विविध (2023-24) दिनांक 13 जनवरी 2024 के अनुसार ग्राम मातला की प०ज०अ० खतौनी फसली वर्ष 1425 से 1430 के खाता सं० 0003 मध्ये खसरा सं० 856/0.742, 852क0/1.746, 126/2.111, 125/0.571 है०, 123/0.391, 67/1.375, 56/0.352, 53/1.615, 5/1.214 कुल रकबा 10.117 है० भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)क के नाम दर्ज अभिलेख है, प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी) के नाम हस्तान्तरित / समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी, तद्नुसार अमलदरामद किया गया। ह० अपठनीय 28/4/25
		3	0.251	
		5	0.371	
		xx	xx	
		53	1.615	
		55	0.552	
		56	0.352	
		59	0.160	
		67	1.375	
		xx	xx	
		123	0.391	
		125	0.571	
		126	2.111	
		xx	xx	
		852	6.679	
		854	0.506	
		856	0.742	
		xx	xx	
		2052	6.526	
		2053	3.661	
	खाते का योग	—	563	161.473

नकल खतौनी असल से तैयार की गई। ह० 28/4/25

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ....
तहसील ....
जिला उत्तरकाशी

पी०एस०यू० (आर०ई०) 037 रा० परिषद /332-4-11-2003-(फसली 1411)-50,000 फार्म (कम्प्यूटर / ऑफसेट)

नकल खतौनी NZA ग्राम - कलोलगाव पट्टी - गोड्‌र तहसील - बड़कोट जिला - उत्तरकाशी फसलीवर्ष - 1430-35

	की 9(3)ड़ खाते के बाहर की भूमि :-				
12	उत्तराखण्ड सरकार	1	0.947		जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश सं०
	की 9(3)ड़ ✗	2	2.255		3538 / ग्यारह - विविध दिनांक 13 जनवरी 2025
		4	0.196		के अनुसार ग्राम कलोगाव के Non ZA खतौनी
		x	x		के खाता संख्या से उत्तराखण्ड सरकार की
		x	x		9(3)ड़ मे दर्ज सिविल सोयम भूमि खसरा नं०
		x	x		968/3.195 हे, 1380/3.641, 2187/6.243 ग्राम
		964	0.030		राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी
		968	3.195		अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के नाम
		x	x		हस्तान्तरित / नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति
		x	x		प्रदान की गयी है। तदानुसार अमलदरामद हो अमल
		1377	0.039		दरामद किया ह० अस्पष्ट रा०उ०नि० गातू
		1380	3.641		30.4.2025 ✗
		1382	0.165		
		x	x		
		x	x		
		x	x		
		x	x		खतौनी नकल असल से तैयार की गई
		2182	0.078		Ankit Kumar 28/4/2025
		2187	6.243		राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कफनौल (गातू) तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी
		x	x		
		x	x		
	योग	545	95.597		

पी०एस०यू० (आर०ई०) 037 रा० परिषद / 332-4-11-2003-(फसली 1411)-50,000 फार्म (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

नकल N.Z.A खतौनी फसली 1427 से 1432

ग्राम- कुनरगांव, पट्टी गोडर तहसील- बड़कोट जिला उत्तरकाशी

	श्रेणी 9(3)क (5) भूमि जो खाते के बाहर कृषि योग्य भूमि :-			
9	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)5क(2)	1	14.329	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश संख्या 2157/आठ-रा०अ०बी० (2012-13) दिनांक 12 फरवरी 2016 के अनुसार ग्राम कुनरगांव की N.Z.A खतौनी में उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) उपरोक्त दर्ज सिविल सोयम भूमि खसरा नं० 344क रकबा 1.095 है० राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट को हस्तान्तरित/आमन्त्रित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त की गयी, तदनुसार अमलदरामद किया ह० अ० रा०उ०निरीक्षक उपरोक्त 25/04/25।
		2	8.400	
		3	5.678	
		6	5.221	
		xx	xx	
		xx	xx	
		xx	xx	
		342	0.008	
		344त	12.634	
		347	6.934	
		xx	xx	
		xx	xx	
		xx	xx	
		907	0.060	
		909	0.121	
		911	0.018	
		914	0.224	
	योग -	342	149.831	

नकल खतौनी असल से तैयार की गई है।

(हस्ताक्षर) 25/04/25
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र..........
तहसील.......
जिला उत्तरकाशी

पी०एस०यू० (आर०ई०) 037 रा० परिषद / 332-4-11-2003-(फसली 1411)-60,000 फार्म (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट के पत्र संख्या 2414/8भू0अ0 दिनांक 09.11.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123(507) (हर्बटपुर से बड़कोट बैण्ड) के किमी 75.00 से 101.00 तक (थाथरी खड्ड डामटा से नौगांव ब्लाक) तक भाग के दो लेने चौड़ीकरण निर्माण हेतु 63.720 है0 भूमि हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार बड़कोट द्वारा अपने पत्र संख्या मेमो/र0का0/विविध-जांच/2015-16 दिनांक 16.01.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि राजस्व उपनिरीक्षक कुवां, राजस्व उपनिरीक्षक गातू एवं राजस्व उपनिरीक्षक कण्डारी से जांच करवायी गयी । जांच आख्यानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना तहसील बड़कोट के अन्तर्गत प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि मौजा ग्राम भुनडगांव में खसरा सं0 344 रकबा 1.095है0, ग्राम कण्डारी में खसरा सं0 1121 रकबा 3.000, 1136 रकबा 0.209, 1145 रकबा 2.000, 1147 रकबा 2.928 है0, 1151 रकबा 1.750 है0,1149 रकबा 6.019 है0 ग्राम खमुण्डीमल्ली में खसरा सं0 2663 रकबा 5.000 है0 एवं ग्राम खिर्मू में खसरा सं0 01 रकबा 3.550 है0 खसरा सं0 7 रकबा 7.634 है0, 8 रकबा 6.757 है0 ग्राम सिंगुणी में खसरा सं0 318 रकबा 2.535 है0 319 रकबा 7.986 है0, ग्राम फिफियारा के खसरा सं0 955 रकबा 6.205 है0, 956 रकबा 7.052 है0, कुल 63.720 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. में दर्ज अभिलेख है । उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई ईमारती वृक्ष, गौचर, घनघट या सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। उक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण दिये जाने हेतु संस्तुति की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका "स") के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः तहसीलदार, बड़कोट द्वारा प्राप्त प्रस्ताव मौजा ग्राम भुनडगांव में खसरा सं0 344 रकबा 1.095है0, ग्राम कण्डारी में खसरा सं0 1121 रकबा 3.000, 1136 रकबा 0.209, 1145 रकबा 2.000, 1147 रकबा 2.928 है0, 1151 रकबा 1.750 है0,1149 रकबा 6.019 है0 ग्राम खमुण्डीमल्ली में खसरा सं0 2663 रकबा 5.000 है0 एवं ग्राम खिर्मू में खसरा सं0 01 रकबा 3.550 है0 खसरा सं0 7 रकबा 7.634 है0, 8 रकबा 6.757 है0 ग्राम सिंगुणी में खसरा सं0 318 रकबा 2.535 है0 319 रकबा 7.986 है0, ग्राम फिफियारा के खसरा सं0 955 रकबा 6.205 है0, 956 रकबा 7.052 है0, कुल 63.720 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. में दर्ज सिविल सोयम भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी,अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

Photo Copy Attested
Asistant Engineer
N.H. Division,P.W.D.
Barkot (Uttarkashi)

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 2157 /आठ–एम0बी0 (2012-13) दिनांक 12 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– उप जिलाधिकारी, बड़कोट।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

3– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,लो0नि0वि0 बड़कोट ।

4– तहसीलदार, बड़कोट।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Photo Copy Attested
Asistant Engineer
N.H. Division,P.W.D.
Barkot (Uttarkashi)

16/02/2016

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग,बड़कोट ने अपने पत्र संख्या: 174/08-भू0अ0/123(507) दिनांक दिनांक 02.02.2024 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 123(507)के कि0मी0 75.00 से कि0मी0101.00(थातरी खड्ड से मुराडी)तक मोटर मार्ग के 2लेन चौड़ीकरण हेतु 31.86 हे0भूमि वन गैरबागवानी कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सिविल भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसीलदार,बड़कोट ने अपने पत्र संख्या: 170/र0का0-भूमि विकय/2022-23 दिनांक 09 फरवरी,2024 जो उप जिलाधिकारी,बड़कोट द्वारा संस्तुति अग्रसारित किया गया है, में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी सिविल भूमि तहसील बडकोट मध्ये मौजा मातला की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष-1425 से 1430 के खाता संख्या:-00031 मध्ये खसरा संख्या:856/0.0742,852म0/1.746,126/2.111,125/0.571हे0,123/0.391,67/1.375,56/0.352,53/1.615,5/1.214 कुल रक्वा 10.117 हे0 व ग्राम कलोजगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष 1430 से 1435 के खाता संख्या:00012 खसरा संख्या: 1380/3.641,968/3.195,2187/6.243 कुल रक्वा 13.079हे0 एवं ग्राम फुवाणगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष-1429 से 1434 के खाता संख्या: 00012 मध्ये खसरा संख्या 327म0/5.266 कुल योग 28.462हे0 भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. के नाम दर्ज अभिलेख है, को उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के नव निमार्ण में प्रयुक्त होने वाली वनभूमि के बदले दोगुनी सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

अत: शासनादेश संख्या:2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर,2012 एवं तहसीलदार,बड़कोट/उप जिलाधिकारी,बड़कोट से प्राप्त प्रस्ताव/जांच आख्यानुसार प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि तहसील बडकोट मध्ये मौजा मातला की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष-1425 से 1430 के खाता संख्या:-00031 मध्ये खसरा संख्या:856/0.0742,852म0/1.746, 126/2.111,125/0.571हे0,123/0.391,67/1.375, 56/0.352, 53/1.615,5/1.214 कुल रक्वा 10.117हे0 ग्राम कलोजगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष 1430 से 1435 के खाता संख्या:00012 खसरा संख्या: 1380/3.641,968/3.195,2187/6.243 कुल रक्वा 13.079हे0 तथा ग्राम फुवाणगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष 1429 से 1434 के खाता संख्या: 00012 मध्ये खसरा संख्या 327म0/5.266 कुल योग 28.462हे0 भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग9(3)ड. के नाम दर्ज अभिलेख है,को उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के नव निमार्ण में प्रयुक्त होने वाली वनभूमि के बदले दोगुनी सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट (वन विभाग) के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

दिनांक 12 फरवरी,2024

ह0/-डॉ0मेहरवान सिंह बिष्ट,
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 3538 /ग्यारल-विविध (2023-24) दिनांक 13 जनवरी,2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- तहसीलदार/उप जिलाधिकारी,बड़कोट।
2- अधिशासी अभियन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग,बड़कोट
3- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

13/1/24
अपर जिलाधिकारी,,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित आदेश

::आदेश::

इस कार्यालय के पत्र संख्या:3538/ग्यारह-विविध (2023-24) दिनांक 13 फरवरी,2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-123(507) के कि0मी0 75.00 से कि0मी0 101.00(थातरी खड्ड से मुराडी) तक मोटर मार्ग के 2लेन चौडीकरण हेतु 31.86हे0 भूमि वन गैरबागवानी कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सिविल भूमि उपलब्ध कराने को अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसीलदार, बडकोट ने अपने पत्र संख्या:170/र0का0-भूमि विक्रय/2022-23 दिनांक 09 फरवरी,2024 जो उप जिलाधिकारी, बडकोट द्वारा संस्तुति अग्रसारित किया गया है, मे उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक हेतु दोगुनी सिविल भूमि तहसील बडकोट मध्ये मौजा मातला की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष-1425 से 1430 के खाता संख्या:00031 मध्ये खसरा संख्या:856 रक्वा 0.742हे0, 852म0 रक्वा 1.746हे0, 126 रक्वा 2.111हे0, 125 रक्वा 0.571हे0, 123 रक्वा 0.391हे0, 67 रक्वा 1.375हे0, 56 रक्वा 0.352, 53 रक्वा 1.615हे0, 50 रक्वा 1.214हे0, कुल रक्वा 10.117हे0 व ग्राम कलोज गांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष-1430 से 1435 के खाता संख्या:00012 खसरा संख्या:1380 रक्वा 3.641हे0, 968 रक्वा 3.195हे0, 2187 रक्वा 6.243हे0 कुल रक्वा 13.079हे0 एवं ग्राम फुवाणगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष-1429 से 1434 के खाता संख्या:00012 मध्ये खसरा संख्या:327म0 रक्वा 5.266हे0 कुल रक्वा 28.462हे0 भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड के नाम दर्ज अभिलेख है, को उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के नव निमार्ण में प्रयुक्त होने वाली वनभूमि के बदले दोगुनी सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

अत: शासनादेश संख्या:2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 एवं तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, बड़कोट से प्राप्त प्रस्ताव /जांच आख्यानुसार प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि तहसील बडकोट मध्ये मौजा मातला की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष-1425 से 1430 के खाता संख्या:00031 मध्ये खसरा संख्या:856 रक्वा 0.742हे0, 852म0 रक्वा 1.746हे0, 126 रक्वा 2.111हे0, 125 रक्वा 0.571हे0, 123 रक्वा 0.391हे0, 67 रक्वा 1.375हे0, 56 रक्वा 0.352, 53 रक्वा 1.615हे0, 50 रक्वा 1.214हे0, कुल रक्वा 10.117हे0 व ग्राम कलोज गांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष-1430 से 1435 के खाता संख्या:00012 खसरा संख्या:1380 रक्वा 3.641हे0, 968 रक्वा 3.195हे0, 2187 रक्वा 6.243हे0 कुल रक्वा 13.079हे0 एवं ग्राम फुवाणगांव की नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली वर्ष-1429 से 1434 के खाता संख्या:00012 मध्ये खसरा संख्या:327म0 रक्वा 5.266हे0 कुल रक्वा 28.462हे0 भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड के नाम दर्ज अभिलेख है, को उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के नव निमार्ण में प्रयुक्त होने वाली वनभूमि के बदले दोगुनी सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट(वन विभाग) के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

दिनांक 12 फरवरी,2024

ह0/-डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट,
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी,उत्तरकाशी।

संख्या: 4461 ग्यारह-विविध (2023-24) दिनांक 29 अप्रैल,2025

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- तहसीलदार/उप जिलाधिकारी,बडकोट।
2- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग ,लोक निर्माण विभाग, बडकोट।
3- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट

अपर जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

वचन पत्र

Subject :- Diversion of Forest land for Rehabilitation and upgradation of single/ Intermediate lane to Two Lane Chainage km 74.700 t o Km 100.660(Design Chainage Km53.365 to km 78.785 on NH-507 under EPC mode in the state of Uttarakhand- Compliance of the Condition mentioned in -Principle Approval.
SI No. 11
Proposal No.:- FP/UK/ROAD/19158/2016

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलवा, अवशिष्ट पदार्थ अथवा अन्य निर्माण जनित अवशेषो का निस्तारण नही किया जायेगा। परियोजना के समस्त निर्माण/कार्य प्रकिया में उत्पन्न होने वाले मलवे को नियमानुसार स्वीकृत स्थलो पर पर्यावरणीय दिशा निर्देश के अनुरूप निस्तारित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)।

शपथ पत्र

Subject :- Diversion of Forest land for Rehabilitation and upgradation of single/ Intermediate lane to Two Lane Chainage km 74.700 t o Km 100.660(Design Chainage Km53.365 to km 78.785 on NH-507 under EPC mode in the state of Uttarakhand- Compliance of the Condition mentioned in -Principle Approval. **SI No. 5ख**

Proposal No.:- FP/UK/ROAD/19158/2016

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट के अनुसार प्रत्यावर्तित समिति द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट के अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की कोई अतिरिक्त देय धनराशि होती है तो उसे अन्तिम रूप देने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूला जायेगा तथा देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार को निर्धारित समयवधि में भुगतान किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)।

सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग का कब्जा प्रमाण पत्र।

कार्य का नामः– Diversion of Forest Land For Rehabilitation and upgradation of Single/Intermediate Lane to two lane From Existing Chainge Km 74.700 to 100.660 (Design Chainge Km 53.365 to Km 78.785 on NH-123(507) Under EPC Mode in the state of Uttarakhand.

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 123(507) के किमी0 75.00 से 101.00 तक दो लेन चौडीकरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बदले दो गुने क्षेत्रफल 63.720 है0 ग्राम **पिफीयारा सिविल** सोयम के खसरा सं0 955 रक्वा 6.205 है0, खसरा न0 956 रक्वा 7.052 है0, **(कुल 13.257 है0,)** ग्राम **भुनडगांव सिविल** सोयम के खसरा न0 344 रक्वा **(कुल 1.095** है0,) ग्राम **कण्डारी सिविल** खसरा सं0 1121 रक्वा 3.00 है0 खसरा न0 1136 रक्वा 0.209 है0 खसरा न0 1145 रक्वा 2.000 है0 खसरा न0 1147 रक्वा 2.928 है0 खसरा न0 1151 रक्वा 1. 750है0, खसरा न0 1149 रक्वा 6.019 है0 **(कुल 15.906 है0)** एवं **खमुण्डीमल्ली** सिविल सोयम के खसरा न0 2663 रक्वा 5.00 है0, **(कुल 5.000 है0)**, अर्थात् **कुल क्षेत्रफल 35.258** है0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी के आदेश सं0 2157/आठ–एम0बी0 (2012–13) दिनांक 12.02.2016 के द्वारा कुल 35.258 है0 को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की गई है एवं ग्राम **मातला सिविल** सोयम खसरा न0 856 रक्वा 0.742 है0, खसरा न0 852म0 रक्वा 1.746 है0, खसरा न0 126 रक्वा 2.111 है0, खसरा न0 125 रक्वा 0.571 है0, खसरा न0 123 रक्वा 0.391 है0, खसरा न0 67 रक्वा 1.375 है0, खसरा न0 56 रक्वा 0.352 खसरा न0 53 रक्वा 1.615 है0 एवं खसरा न0 50 रक्वा 1.214 हे0 **(कुल रक्वा 10.117 है0)** ग्राम **क्लोज गांव** सिविल सोयम खसरा न0 1380 रक्वा 3.641, खसरा न0 968 रक्वा 3.195 है0 एवं खसरा न0 2187 रक्वा 6.243 है0 **(कुल 13.079 है0)** एवं ग्राम फुवाणगांव सिविल सोयम खसरा न0 327म0 रक्वा 5.266 है0 अर्थात् **कुल क्षेत्रफल 28.462 है0** भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षोरोपण हेतु **जिलाधिकारी उत्तरकाशी के आदेश संख्या 3538/ ग्यारह विविध (2023–24) दिनांक 13 जनवरी 2024** एंव संशोधित आदेश संख्या–446/ **ग्यारह विविध (2023–24) दिनांक 29 अप्रैल 2025** द्वारा **कुल 28.462 है0** को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की गई है। अतः उपरोक्तानुसार सिविल सोयम भूमि **(35.258 है0+28. 462 है0) कुल क्षेत्रफल 63.720** है0 पर सीमांकन कर वन विभाग के कब्जे मे कर लिया गया है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
राजस्व उप निरीक्षक	वन बीट अधिकारी	वन दरोगा	वन अधिकारी नौगॉव रेज बर्नीगाड़

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

फोन/फैक्स नं0- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्प लाईन नं0 18008909715

पत्रांक- 650 / 12-1 दिनांक,बड़कोट, 19 /, सितम्बर / 2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
बडकोट।

विषयः- **Diversion of Forest Land for Rehabilitation and Upgradation of Single/ Intermediate Lane to Two Lane from Existing Chainage Km 74.700 to Km 100.660 (Design Chainage Km 53.365 to Km 78.785 on NH-507 under EPC mode in the state of Uttarakhand. (FP/UK/ROAD/19158/2016)**

संदर्भः- **आपके कार्यालय का पत्रांक-552/04भू0अ0123(507), दिनांक 29.04.2025 एवं 638/04भू0अ0123(507), दिनांक 19.05.2025।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के संदर्भित पत्रों का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/19158/2016 हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति दिनांक 17.02.2025 के क्रम में अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया।

उपरोक्त के क्रम में विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अंतर्गत प्रस्तावित भूमि में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. कार्यदायी संस्था द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. कार्य के दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा वन्य जीव एवं वन संपदा को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुचाई जाए।
3. विषयक परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि पर आने वाले वृक्षों का वन विकास निगम के माध्यम से निस्तारण के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जाए, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही से बाधित होना पड सकता है।
4. मोटर मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार वन विभाग की देख रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेका जायेगा।
5. उक्त अनुमति वैधता जारी होने की तिथि से एक वर्ष अथवा एक वर्ष के भीतर विधिवत स्वीकृति निर्गत होने तक की समयावधि के लिए होगी।
6. मोटर मार्ग कार्य के निस्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई भी अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।
7. यह अनुमति मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय में निर्गत होने वाले आदेशों के अधीन होगी, उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगी।

उक्त के अतिरिक्त **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927** एवं **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972** का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

Hp dextop DM

प्रतिलिपि :– **निम्नलिखित को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित –**

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

प्रतिलिपि :– वन क्षेत्राधिकारी, नौगांव एवं मुगरसन्ती राजि को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यदायी संस्था से उक्त उल्लेखित शर्तों का अक्षरशः अनुपलान करवाना सुनिश्चित करें।

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

Sanction Amount	Beneficiary Account No.	Beneficiary Amount	Beneficiary Name	IFSC Code	Accredited Bank	PFMS Transaction Id	PAO/CDDO DSC date & Time Stamp	Debit Status	Credit Status	Scroll Status	Scroll Date	UTR No. (Bank Transaction Id)
7,26,46,853.00	15*********8969	7,26,46,853.00	UTTARANCHAL CAMPA	UBIN0996335	CANARA BANK	S042500104271	09-04-2025 21:34:33	Success	Success	Success	11-04-2025	CNRBR52025041154408566

5,75,050.00	27**********2039	5,75,050.00	D LM Tons Purola	PUNB0278000	CANARA BANK	50825046942 53	04-09-2025 15:25:45	Success	Success	Success	04-09-2025	CNRB#0007285317 1

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

फोन/फैक्स नं0- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com

पत्रांक- 2055/ 12-1 बड़कोट, दिनांक 31 जनवरी / 2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
बडकोट।

विषयः- जनपद-उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-123(507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के कि0मी0 75.00 से 101 तक के भाग का दो लेन चौडीकरण हेतु 31.86 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु एन0एच0ए0आई0 (पी0आई0यू0, देहरादून) को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। (FP/UK/ROAD/19158/2018)

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-08बी/यू0सी0पी0/06/81/2020/एफ0सी0, दिनांक 17.02.2025 एंव इस कार्यालय का पत्रांक 2615/12-1 दिनांक 28.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में Wildlife Management Plan एवं Soil and Moisture Conservation Plan इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि Wildlife Management Plan से सम्बन्धी धनराशि रू0 296.16 लाख एवं Soil and Moisture Conservation Plan से सम्बन्धी धनराशि रू0 74.04 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 370.2 लाख कैम्पा कोष में जमा कर जमा की गयी धनराशि के चालन की प्रमाणित छाया प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-
1. **Wildlife Management Plan** की प्रति।
2. **Soil and Moisture Conservation Plan** की प्रति।

भवदीय

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित :-
1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

मूल प्रति प्राप्त की है।
भीम बहादुर
(बेलदार)
31-1-2026

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

87, राजपुर रोड, देहरादून फोन/फैक्स– 0135–2745779 Email add: yamunacircle@gmail.com

पत्रांक– 1261 / 12–1 दिनांक देहरादून 27 जनवरी 2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

विषय– **जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के कि0मी0 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.86 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु एन0एच0ए0आई0 (पी0आई0यू0, देहरादून) को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/19158/2018)**

सन्दर्भ– **आपका पत्रांक–1921 / 12–1 दिनांक 20.01.2026।**

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये गये ₹74.04 लाख के Soil & Moisture Conservation Plan का अनुमोदन इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उच्च स्तर से बजट प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जाय। प्रस्ताव मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(कल्याणी)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड राज्य

Soil and Moisture Conservation Plan for Rehabilitation and Upgradation of single/intermediate lane to Two lane from existing chainage Km. 75.00 to Km. 101.00 on NH 123 (507) (Proposal No- FP/UK/ROAD/119158/2016)

Total Cost of Plan:- 74.04 Lakh

UPPER YAMUNA FOREST DIVISION, BARKOT

Executive Engineer
NH Division, PWD, Barkot

Divisional Forest Officer
Upper Yamuna Forest Division, Barkot

TABLE OF CONTENTS

Sl No	Description	Page No.
1.	Division Profile	3-5
2.	Slope Map	6
3.	Details of Proposal	7
4.	About the project	8
5.	Project Financial statistics and cost estimation of SMC plan	9
6.	Need for the Soil and Moisture conservation plan:	9-10
7.	Impacts of the project	10
8.	Objectives of the SMC Plan	10
9.	Proposed Interventions	11-12
10.	Details of the drains (Nallas) between Chainage Km. 75.00 to Km. 101.00 on NH 123 (507)	13
11.	Cost estimate for the implementation of the soil and moisture conservation plan	14

AAE AE

वन [illegible]धिकारी
नौगाँव [illegible] बर्नीगाड़

[illegible]धिकारी
[illegible] वन प्रभाग
[illegible] (उत्तरकाशी)

Division Profile:-

The Upper Yamuna Forest Division is situated in the western part of Uttarkashi district between 31°3′ to 30°8′ north latitude and 77°58′ to 78°35′ east longitude. It is bounded by Govind Pashu Vihar and Tons Forest Division in the north and north-west, Uttarkashi Forest Division in the east, Mussoorie Forest Division in the south and Jaunsar Babar area of Chakrata Forest Division in the south-west. Total area of Upper Yamuna Forest Division is 74394.5 ha. Division's forest areas extend from the snow-clad peaks of Yamunotri and Bandarpoonch to the northern catchment area of the Aglar River. Division's forests are among the finest natural forests in the State. This division is characterized by its diverse ecosystems, including forests of deodar, oak, pine, Fir and spruce. These forests are entirely situated within the catchment areas of the Yamuna, and their tributary rivers, making them extremely important for soil and water conservation. The division plays a crucial role in the conservation of these vital ecosystems, which support a wide array of flora and fauna. This area is not only crucial for environmental conservation but also supports numerous rural communities who rely heavily on agriculture for their livelihoods.

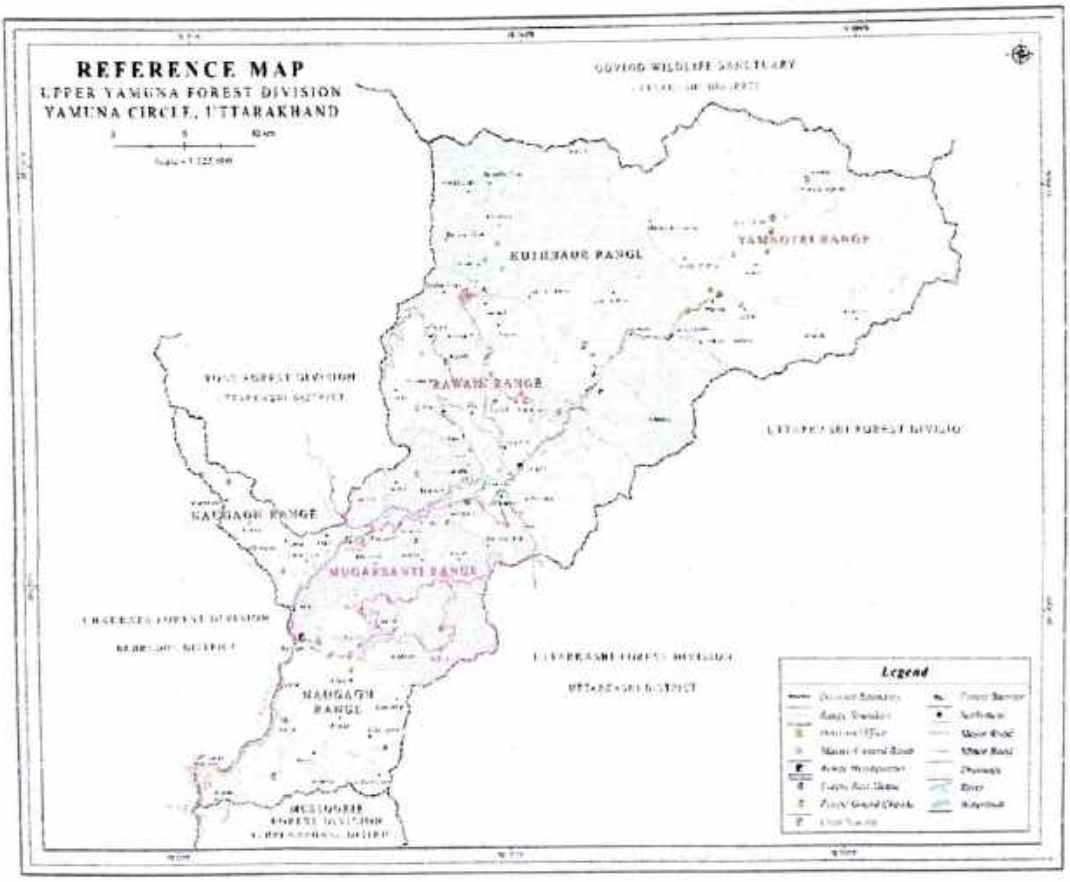

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)
वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रैंज बर्नीगाड़

Location of Upper Yamuna Forest Division, Barkot

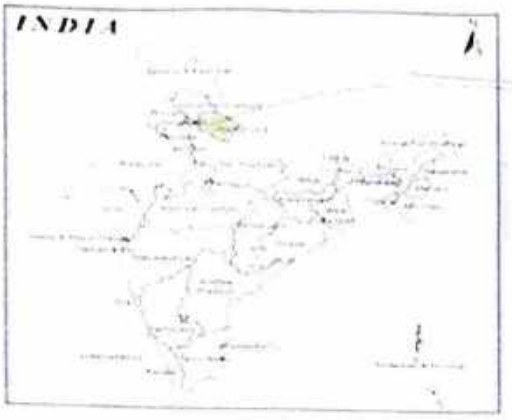

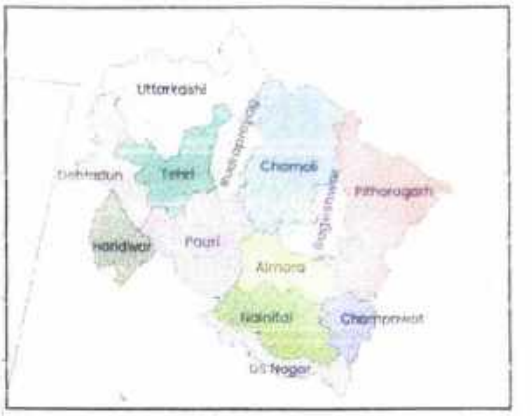

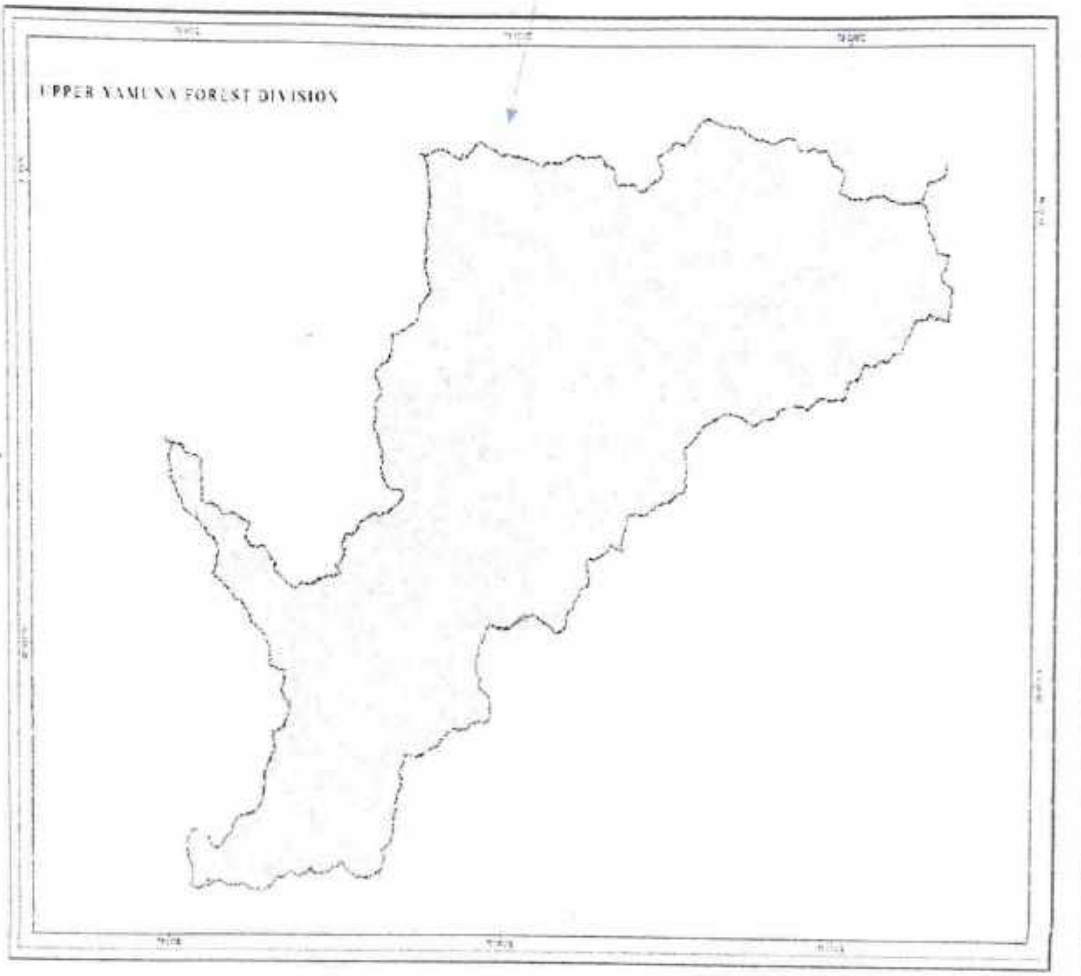

AAF AE

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बनीगाड़।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Division details:-

Division	Range	Area (in hectares)
Upper Yamuna Forest Division, Barkot	Rawain Range	12965.5
	Mugarsanti Range	8118.4
	Naugaon Range	5742.4
	Kuthnor Range	22825.5
	Yamunotri Range	24742.7
Total area of Upper Yamuna Forest Divison:		**74394.5**

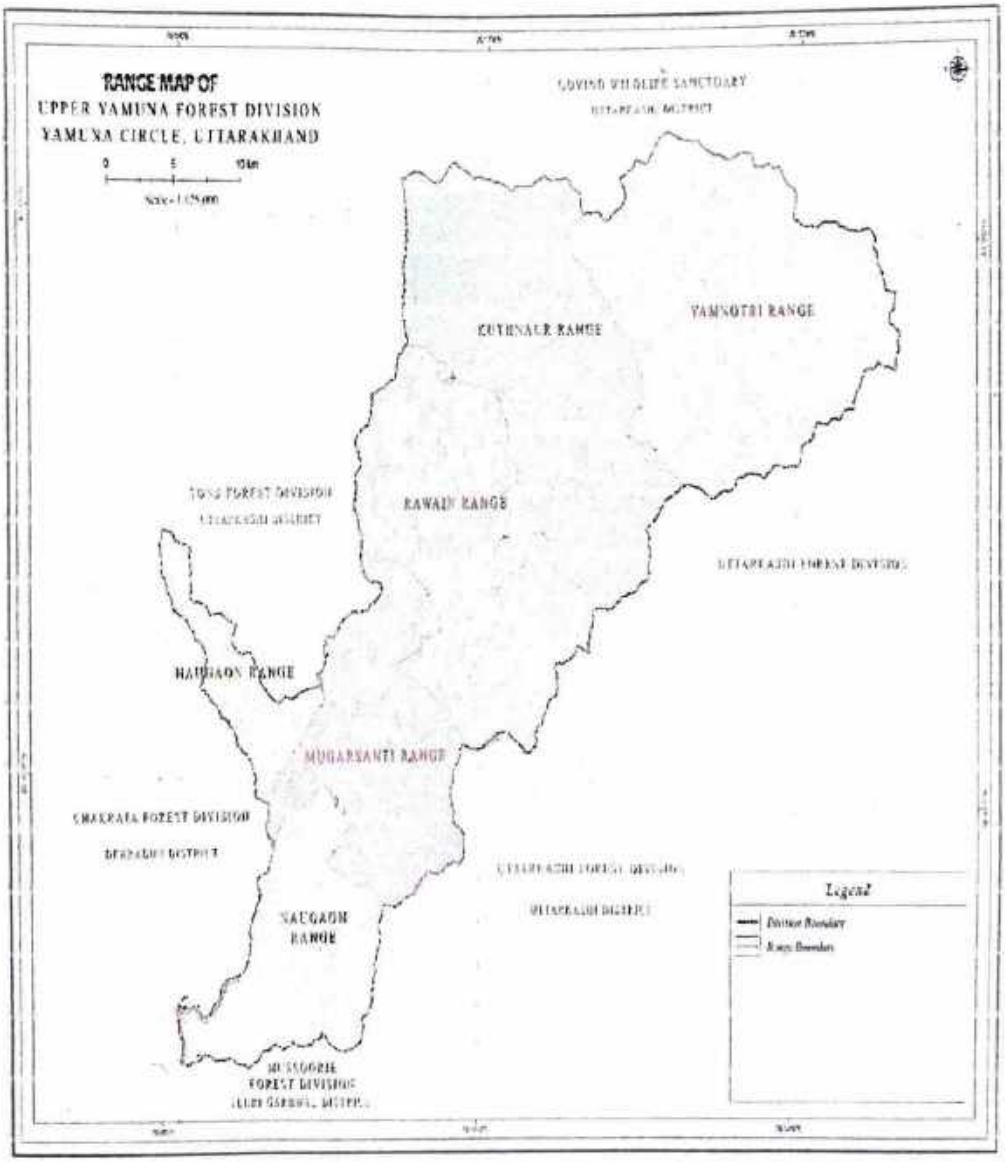

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तराखण्ड)

Slope Map of Division:-

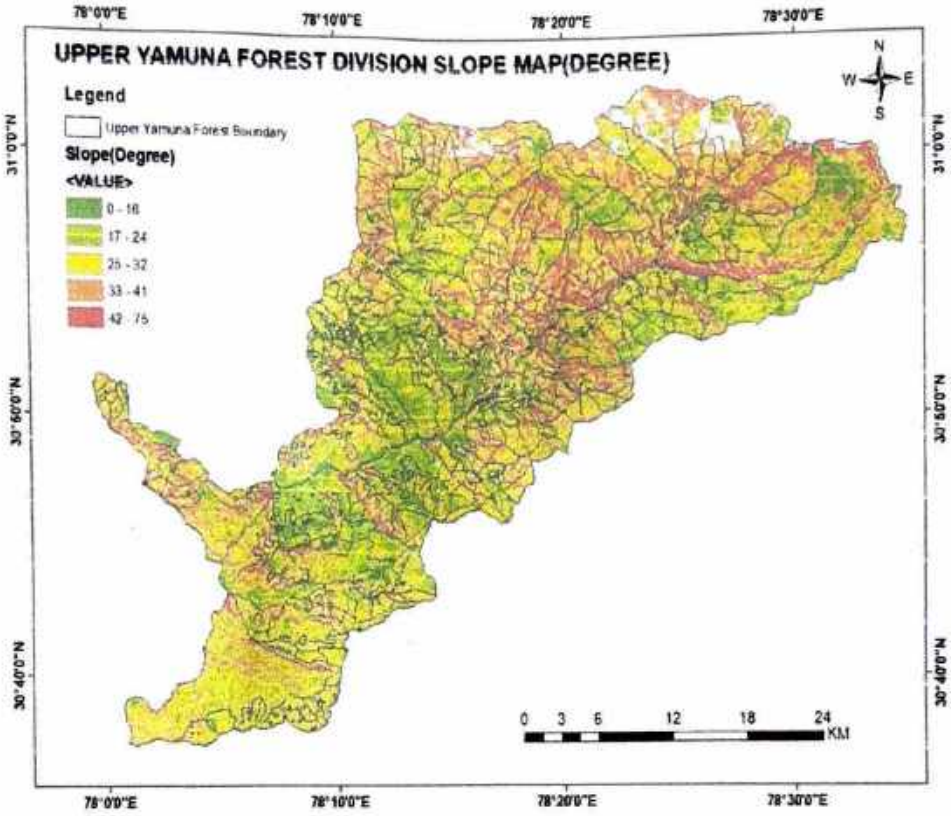

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उपर यमना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Details of the proposal:-

Proposal number: FP/UK/ROAD/119158/2016

Proposal details: Diversion of 31.86 Ha. of Forest Land for Rehabilitation and Upgradation of single/intermediate lane to Two lane from existing Chainage Km. 75.00 to Km. 101.00 on NH 123 (507) under EPC mode in favor of NH Division P.W.D, Barkot within the Jurisdiction of Upper Yamuna Forest Divison Barkot District Uttarkashi, Uttarakhand.

User Agency: NH Division, P.W.D, Barkot

Total forest Land proposed to be diverted: 0.9 hectares (Reserved Forest)
30.96 hectares (Civil Soyam)
31.86 hectares

In Principal Approval Details: Government of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office, Dehradun Letter No- 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 81 / 2020 / एफ0सी0 Dated 17-02-2025

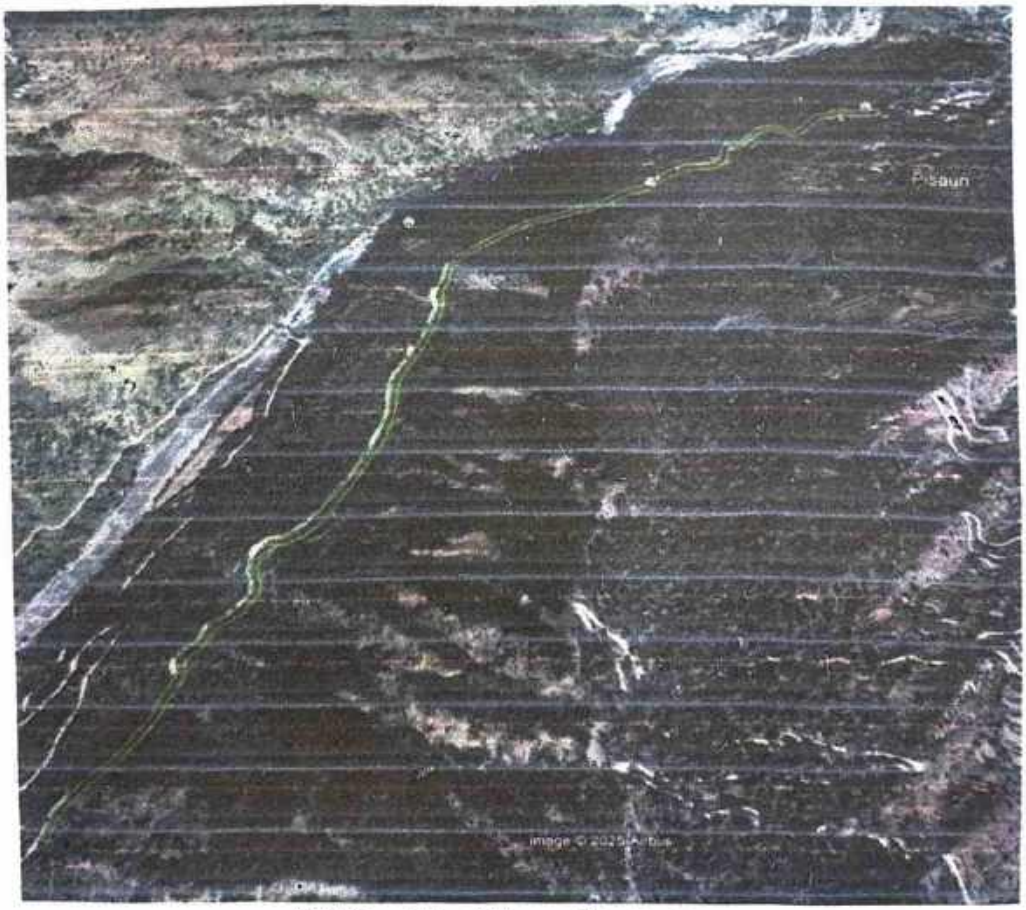

KML of the Linear Project

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

About the project:

The section of National Highway No. 123 (507) from Thatri section to Muradi village from Km. 75.00 to 101.00 falls under Barkot Forest Division, Barkot, Development Block Naugaon, District Uttarkashi, for which forest land transfer proposal is being prepared. This section of the road is to be constructed as per the specifications of National Highway. This road is the main road connecting Char Dham Yatra. Through this road, cash crops like apple, mango, pomegranate, potato, peas etc. of the local gardeners and farmers are transported to the market. Due to this road being narrow and having heavy traffic, there is a possibility of traffic jam and accidents on the road.

For development of this project diversion of 31.86 Hect. civil forest land required in favor of GoI, Ministry of Road Transport and Highways New Delhi. The NH 123 (507) (Delhi Yamunotri highway) starts from km 0.00 (Herbertpur) and ends at km.111.350 (Barkot bend). This project under consideration falls on NH 123 (507) from from Existing Chainage km 75.00 to 101.00. The main objective of the project is to alleviate the current unsafe condition of the Highway and provide 2-lane with paved shoulder and improvement of its curves and gradients which will minimize the chances of accidents.

S.no.	Required land details of the Project	Area for road (in Ha)
1.	Reserve forest land	0.90
2.	Civil/ Soyam land	30.960
Total forest Land proposed to be diverted (in Ha) : 31.86		
3.	Naapland	14.940 Ha
Total Required land (1+2+3)		**46.80 Ha**

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Project Financial statistics and cost estimation of Wildlife Management Plan :-

The sanctioned project cost for civil works:- Rs. 217.52 Cr
Total Forest land proposed to be diverted:- 31.86 Ha
Proportionate extent of forest land involved in the project:- 68.08 Percent
Project cost proportionate to diverted forest land 31.86 ha : 68.08 % of
Rs. 217.52 Cr = Rs. **148.08 Cr**

(Source: As per the User agency letter no. 52/1C dated 08.01.2026)

Cost estimation of Soil and Moisture Conserevation Plan :

0.5 % of Rs. 148.08 crore = Rs. 0.7404 Crore (Rs.74.04 Lacs)

Need for the Soil and Moisture conservation plan:-

Most of the area in the Upper Yamuna Forest Division, Barkot is highly fragile and ecologically sensitive from a geographical and geological perspective. Issues of soil and water conservation are of serious concern due to frequent landslides, erosion, and the nature of works that will be undertaken during project implementation.

In hilly regions, steep slopes combined with sparse vegetation cover and high rainfall intensity lead to accelerated soil erosion. Heavy rains and snowfall in the higher altitudes loosen the soil in forest patches, which ultimately impacts the lower inhabited areas. Agricultural lands on sloping terrain without proper bench terracing are severely affected, leading to the loss of topsoil and a decline in productivity.

Natural springs are traditionally the primary source of drinking water in mountainous areas. A large section of the population relies on these springs for year-round supply. However, with increasing population and the construction of pipelines to supply water to every village, natural springs are being obstructed and diverted, reducing their discharge capacity.

Additionally, the construction of motorable roads under various development schemes has significantly impacted natural water sources. Road cutting often fractures geological strata, altering underground water flows and resulting in the drying up of springs. Continuous soil erosion also leads to rapid surface runoff, reducing groundwater recharge.

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तराखण्ड)

Slope characteristics have a direct influence on soil erosion, water runoff, and overall land use capability. Steeper slopes are more prone to erosion, and thus slope analysis is critical for categorizing land into suitable capability classes. Such classification supports the identification of appropriate soil and water conservation measures to control erosion, stabilize slopes, and improve land productivity.

The slope map of the division has been prepared and enclosed to assist in formulating a comprehensive soil and moisture conservation plan.

Impacts of the project: -

1. The project will lead to habitat destruction and loss of biodiversity.
2. The cutting of slopes for road construction destabilizes the land, increasing the risk of landslides and soil erosion, which can cause severe damage to property and life.
3. Construction activities can lead to the contamination of natural water sources due to sediment runoff, affecting both human and wildlife populations dependent on these water sources.
4. Road construction can interfere with natural water flow patterns, leading to changes in drainage systems and increased flooding risk in some areas.

Objectives of the SMC Plan:-

1. To minimize soil erosion/landslides as much as possible.
2. To control erosion in rivers and drains.
3. To increase the infiltration of water in the soil.
4. To control excessive run-off
5. To revive dry/drying water sources.
6. To conserve and improve existing water sources.
7. To minimize the flood incidences and the losses caused by it.

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग-I
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Proposed Interventions:-

To achieve the above objectives the following work will be done construction of the engineering structures like chal-khal, gully plugs, crate wire dams and ponds are proposed in the identified locations, falling in the region of the project.

1. **Chal-khal:** Trenches which are traditionally called as chal-khal are dug in the hilly regions to collect rainwater and recharging of ground water. In the mountainous regions, the underground water can be increased by constructing a 1meter deep circular or rectangular pit, this pit helps in stopping the surface flow during the rains and slowly feeds the rain water to the ground. These are also called as artificials sinks or artificial reservoirs. The image of a chal khal is shown below:

2. **R R Dry check dam:** A stone check dam, also known as an R R (Rubble-Rock) dry check dam, is a small, temporary structure constructed across a drainage channel or watercourse. Its primary purpose is to reduce water flow velocity, control soil erosion, and promote groundwater recharge. These dams are built using locally available stones and rocks, often arranged without the use of mortar (dry-stacked). The structure is typically semi-permeable, allowing water to pass through while trapping sediment.

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

3. **Gully plugging:** Gully plugging in hilly areas involves filling eroded gullies with materials like stones, soil, or vegetation to stabilize the soil, reduce water flow velocity, and prevent further erosion. This technique helps in reclaiming degraded land, improving water infiltration, and supporting vegetation growth, enhancing overall landscape stability.

4. **Recharge Pit:** A recharge pit, also known as a percolation pit, is an artificial structure designed for rainwater harvesting to replenish groundwater. It involves digging a pit and filling it with layers of graded stones, gravel, and sand to filter runoff before it percolates into the soil and recharges shallow aquifers.

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

Details of the drains (Nallas) between Chainage Km. 75.00 to Km. 101.00 on NH 123 (507):-

Sl. No	Range Name	Beat Name	Compartment Name	Name of the Nallo	G.P.S reading
1	Mugarsanti range	Devrana	Devrana 1	Muradi Khad	30°47'20" 78°08'52"
2			Devrana 2,3	Naugaon Khad	30°47'07" 78°08'11"
3			Devrana 3,4	Devalsari Khad	30°47'03" 78°07'54"
4			Devrana 4,5	Dhari khad	30°46'53" 78°07'46"
5			Devrana 6,7	Soli khad	30°46'59" 78°07'40"
6			Bhirontha 1,2	Billa khad	30°45'49" 78°06'27"
7			Bhirontha 2,3	Jarda khad	30°45'07" 78°05'37"
8	Naugaon range	Khatal beat	Khatal 6a	Doomjori khad	30°42'35" 78°06'08"
9			Khatal 5 b	Marada khad	30°41'46" 78°06'32"
10			Khatal 6a	Banadi khad	30°45'07" 78°05'37"
11			Khatal 6b	Ringali khad	30°42'35" 78°05'57"

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

Cost estimate for the implementation of the soil and moisture conservation plan

Name of Drainage	Chal-khal @ Rs.15000/- per unit		RR Dry check dam @ Rs.30000/- per unit		Gully plugging @ Rs.7500/- per unit		Recharge Pit @ Rs. 90/- per unit		Total (in lakh)
	Physical	Financial in lakh	Physical	Financial in lakh	Physical	Financial in lakh	Physical	Financial in lakh	
Muradi Khad	10	1.5	10	3	20	1.5	200	0.18	6.18
Naugaon Khad	10	1.5	12	3.6	20	1.5	200	0.18	6.78
Devalsari Khad	12	1.8	12	3.6	20	1.5	150	0.135	7.04
Dhari khad	10	1.5	12	3.6	20	1.5	150	0.135	6.74
Soli khad	10	1.5	10	3	15	1.125	150	0.135	5.76
Billa khad	12	1.8	12	3.6	15	1.125	150	0.135	6.66
Jarda khad	12	1.8	12	3.6	20	1.5	130	0.117	7.02
Doomjori khad	10	1.5	15	4.5	15	1.125	85	0.0765	7.20
Marada khad	12	1.8	12	3.6	15	1.125	80	0.072	6.60
Banadi khad	12	1.8	12	3.6	15	1.125	70	0.063	6.59
Ringali khad	12	1.8	15	4.5	15	1.125	70	0.063	7.49
Total		**18.3**		**40.2**		**14.25**		**1.29**	**74.0415 Or say Rs. 74.04**

Total- Rs. Seventy Four Lakh Four Thousand Only

Note: The rates of the engineering works are average rates, subject to the dimensions of the works according to the location.

Forest Range Officer
Naugaon, Range, Barnigad

Assistant Engineer
NH Division, PWD, Barkot

Forest Range Officer
Mugarsanti, Range, Naugaon

Executive Engineer
NH Division, PWD, Barkot

Divisional Forest Officer
Upper Yamuna Forest Division, Barkot

वन संरक्षक
यमुना वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

87, राजपुर रोड, देहरादून फोन/फैक्स– 0135–2745779 Email add: yamunacircle@gmail.com

पत्रांक– 1260 / 12–1 दिनांक देहरादून 27 जनवरी 2026

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
(गढ़वाल), उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय– जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के कि0मी0 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु 31.86 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु एन0एच0ए0आई0 (पी0आई0यू0, देहरादून) को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। **(Online No. FP/UK/ROAD/19158/2018)**

सन्दर्भ– आपका कार्यालय पत्रांक–2108/12–1 दिनांक 19.01.2026 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन), वन्यजीव सुरक्षा एवं आसूचना, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक–2314/12–1 दिनांक 06.01.2026 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट का पत्रांक–1921/12–1 दिनांक 20.01.2026।

महोदय,

कृपया अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा विषयक परियोजना के सापेक्ष Wildlife Mitigation Management Pland की धनराशि परियोजना की लागत 2 प्रतिशत से कम है, को नियमानुसार संशोधित कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग द्वारा संदर्भित पत्र से विषयक परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि 31.86 है0 के सापेक्ष (लागत–148.08 करोड) न्यूनतम 2 प्रतिशत ₹296.16 लाख धनराशि का संशोधित Wildlife Mitigation Management Plan तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

क्र0सं0	प्रस्ताव का नाम	धनराशि (लाख में)
1	Wildlife Mitigation/Management Plan	₹296.16

अतः उक्त Wildlife Mitigation/Management Plan संस्तुति सहित आपको इस आशय से प्रेषित कि प्लान के अनुमोदन हेतु प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– Wildlife plan 03 प्रतियों में।

भवदीया,

(कल्याणी)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1260 /12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

OIL

उत्तराखण्ड राज्य

उत्तराखण्ड वन विभाग

Wildlife Management and Mitigation Plan for Rehabilitation and Upgradation of single/intermediate lane to Two lane from existing chainage Km. 75.00 to Km. 101.00 on NH 123 (507)
(Proposal No- FP/UK/ROAD/119158/2016)

Total Cost of Plan:- 296.16 Lacs

UPPER YAMUNA FOREST DIVISION, BARKOT

Executive Engineer
NH Division, PWD, Barkot

Divisional Forest Officer
Upper Yamuna Forest Division, Barkot

PREFACE

As rapid growth of population and human development continues to expand, the need for new infrastructure projects, such as motor roads, has become imperative for connecting remote areas and promoting regional growth. However, infrastructure development in ecologically sensitive areas, particularly forest lands, brings forth significant challenges in balancing human progress with the conservation of wildlife and their habitats. The construction of roads through forests can lead to habitat fragmentation, disrupt wildlife corridors, and increase the risk of human-wildlife conflicts. Consequently, it becomes essential to develop and implement comprehensive wildlife mitigation strategies to ensure that infrastructure development occurs in an environmentally sustainable manner.

This Wildlife Mitigation Plan has been prepared in recognition of these critical issues for a proposed new motor road project that will traverse a section of forest land. The primary aim of this plan is to mitigate the adverse impacts of the road on the local wildlife populations and their natural habitats. The plan focuses on minimizing habitat disruption, maintaining ecological connectivity, and reducing the potential for roadkill and other human-wildlife interactions that could arise due to increased vehicular traffic.

In preparing this plan, we have conducted a thorough assessment of the forest ecosystem, including the identification of key wildlife species, critical habitats, and migration patterns that may be impacted by the road construction. The plan outlines a set of mitigation measures tailored to the specific needs of the area, such as the creation of wildlife crossings, culverts, and underpasses to facilitate safe movement for animals. Additionally, it highlights the importance of incorporating appropriate signage and speed control measures to reduce the likelihood of vehicular accidents involving wildlife.

A key component of the mitigation strategy is the involvement of local communities and stakeholders in the planning and execution phases. This includes awareness programs to inform road users and nearby residents about the presence of wildlife and the importance of adhering to designated mitigation measures. Through active participation, we aim to foster a sense of shared responsibility in protecting the local wildlife and ensuring that human development does not come at the cost of biodiversity.

This document serves as a guiding framework to help project developers, environmental authorities, and focal communities work together to achieve a harmonious balance between infrastructure development and wildlife conservation. By implementing the measures outlined in this Wildlife Mitigation Plan, we hope to protect the rich biodiversity of the forest while facilitating the region's socio-economic progress.

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, [illegible]गाड़।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible]

TABLE OF CONTENTS

Sl No	Description	Page No.
1.	Division Profile	3-4
2.	Division details	5
3.	Details of Proposal	6
4.	Key Faunal species found in division	7-9
5.	Key Floral species found in division	9
5.	About the project	10
6.	Project Financial statistics and Cost estimation of Wildlife Management Plan	11
7.	Impacts of the Project	11
8.	Proposed management actions and mitigation measures	12
9.	Mitigation of impacts during project implementation phase	12-13
10.	Works to be undertaken by the user agency	13
11.	Cost estimate for implementation of Wildlife Management & Mitigation Plan	14-15

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Division Profile

The Upper Yamuna Forest Division is situated in the western part of Uttarkashi district between 31°3′ to 30°8′ north latitude and 77°58′ to 78°35′ east longitude. It is bounded by Govind Pashu Vihar and Tons Forest Division in the north and north-west, Uttarkashi Forest Division in the east, Mussoorie Forest Division in the south and Jaunsar Babar area of Chakrata Forest Division in the south-west. Total area of Upper Yamuna Forest Division is 74394.5 ha. Division's forest areas extend from the snow-clad peaks of Yamunotri and Bandarpoonch to the northern catchment area of the Aglar River. Division's forests are among the finest natural forests in the State. This division is characterized by its diverse ecosystems, including forests of deodar, oak, pine, Fir and spruce. These forests are entirely situated within the catchment areas of the Yamuna, and their tributary rivers, making them extremely important for soil and water conservation. The division plays a crucial role in the conservation of these vital ecosystems, which support a wide array of flora and fauna. This area is not only crucial for environmental conservation but also supports numerous rural communities who rely heavily on agriculture for their livelihoods.

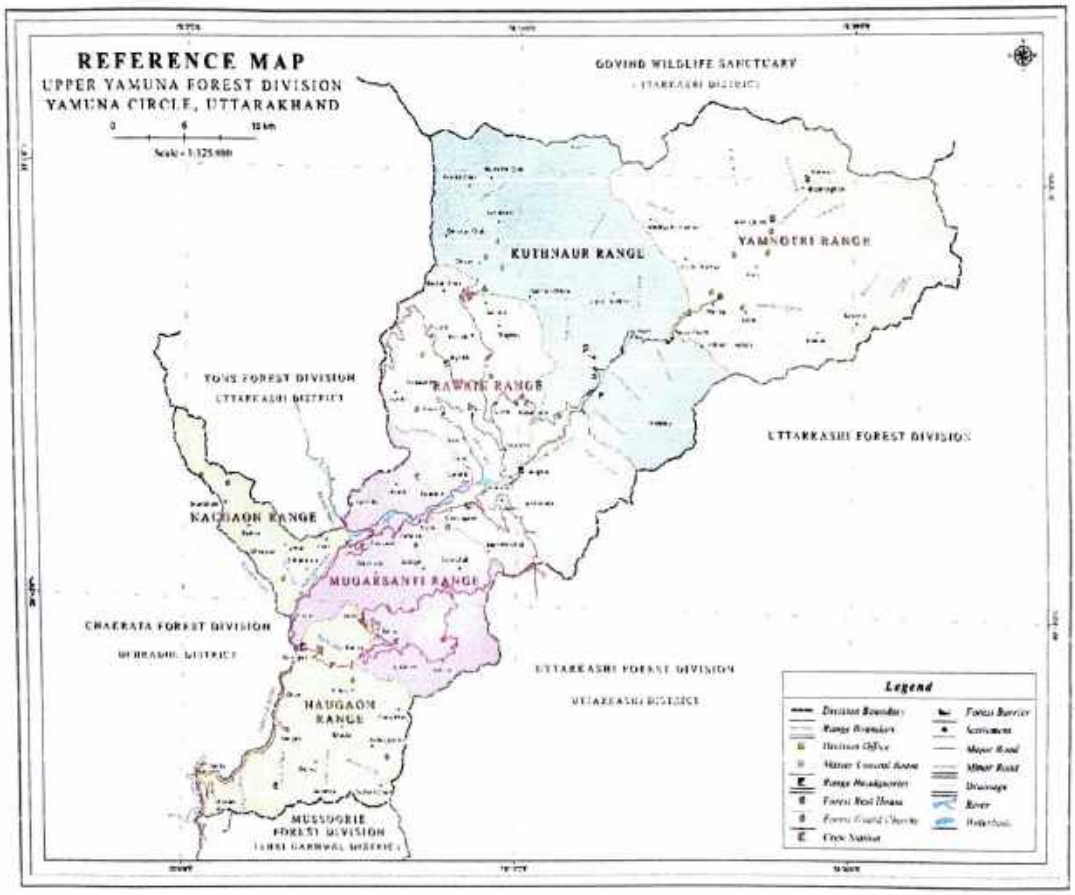

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Location of Upper Yamuna Forest Division, Barkot

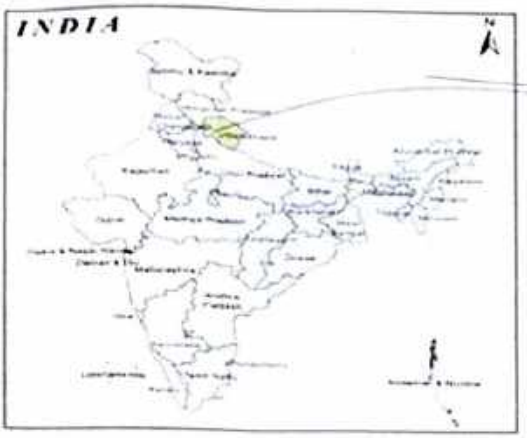

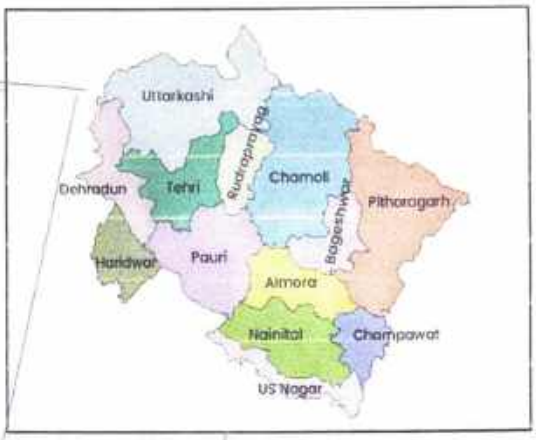

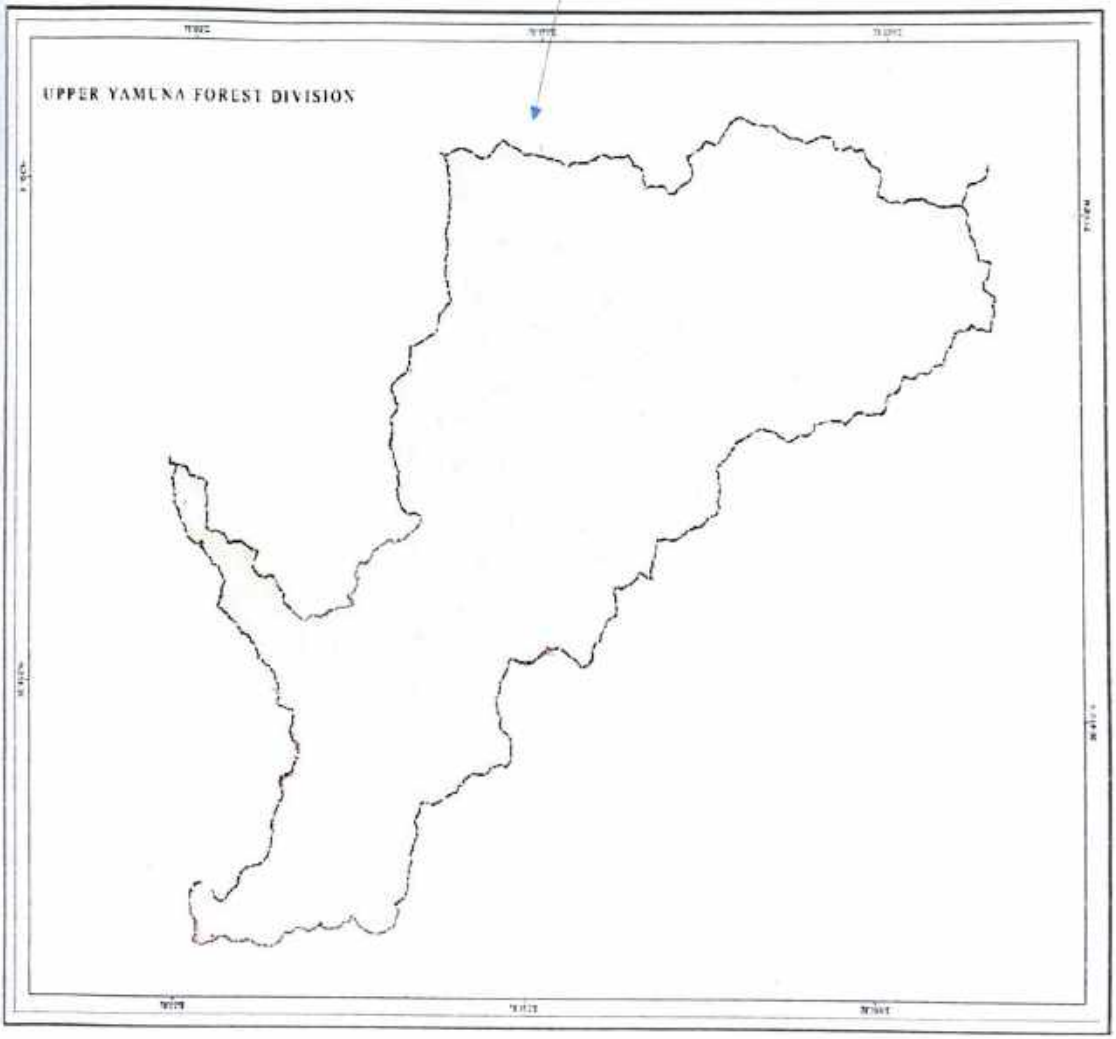

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

Division details:

Division	Range	Area (in hectares)
Upper Yamuna Forest Division, Barkot	Rawain Range	12965.5
	Mugarsanti Range	8118.4
	Naugaon Range	5742.4
	Kuthnor Range	22825.5
	Yamunotri Range	24742.7
Total area of Upper Yamuna Forest Divison:		**74394.5**

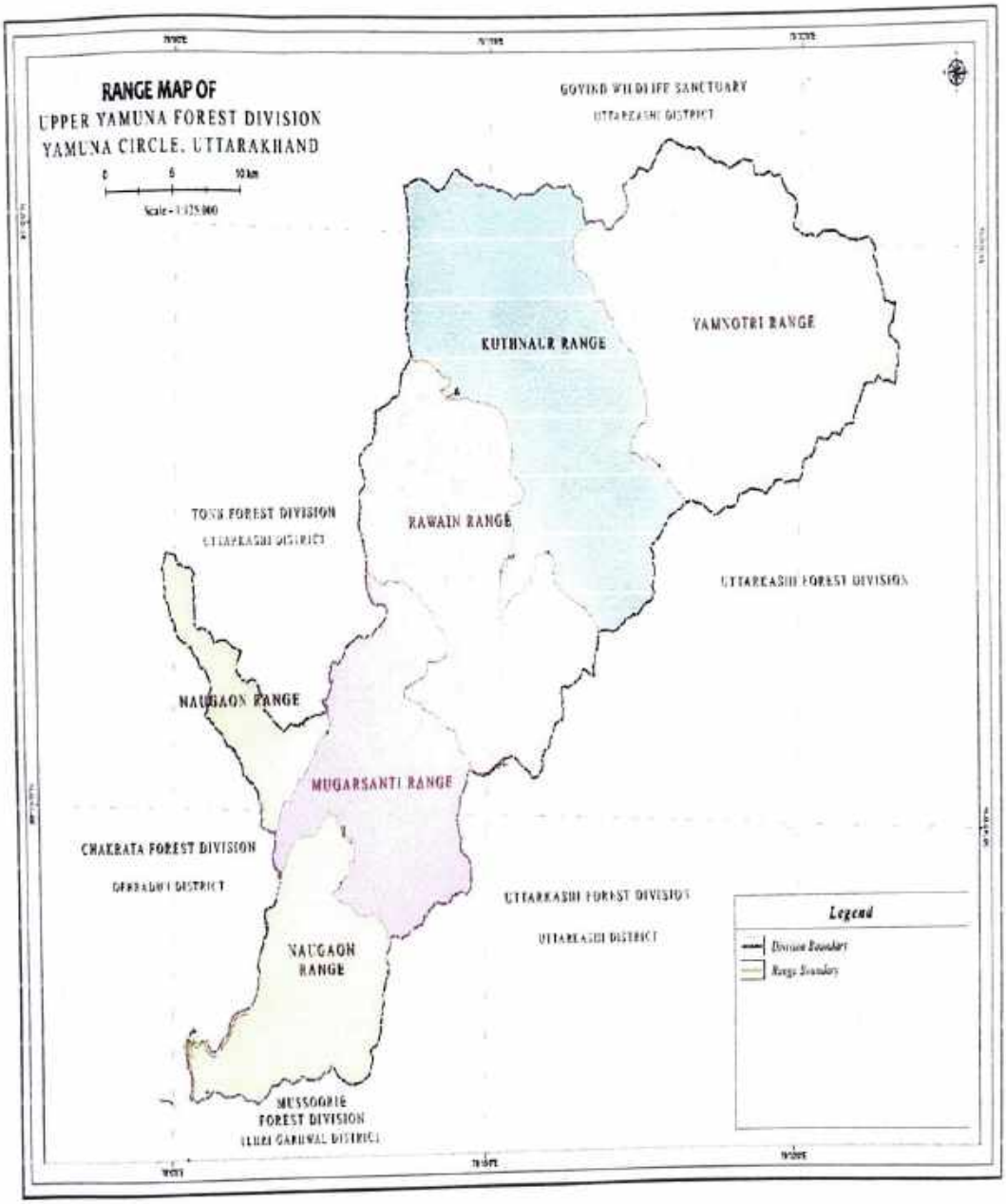

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

Details of the proposal: -

Proposal number: FP/UK/ROAD/119158/2016

Proposal details: Diversion of 31.86 Ha. of Forest Land for Rehabilitation and Upgradation of single/intermediate lane to Two lane from existing Chainage Km. 75.00 to Km. 101.00 on NH 123 (507) under EPC mode in favor of NH Division P.W.D, Barkot within the Jurisdiction of Upper Yamuna Forest Division Barkot District Uttarkashi, Uttarakhand.

User Agency: NH Division, P.W.D, Barkot

Total forest Land proposed to be diverted: 0.9 hectares (Reserved Forest)
30.96 hectares (Civil Soyam)
31.86 hectares

In Principal Approval Details: Government of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office, Dehradun Letter No-08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 81 / 2020 / एफ0सी0 Dated 17-02-2025

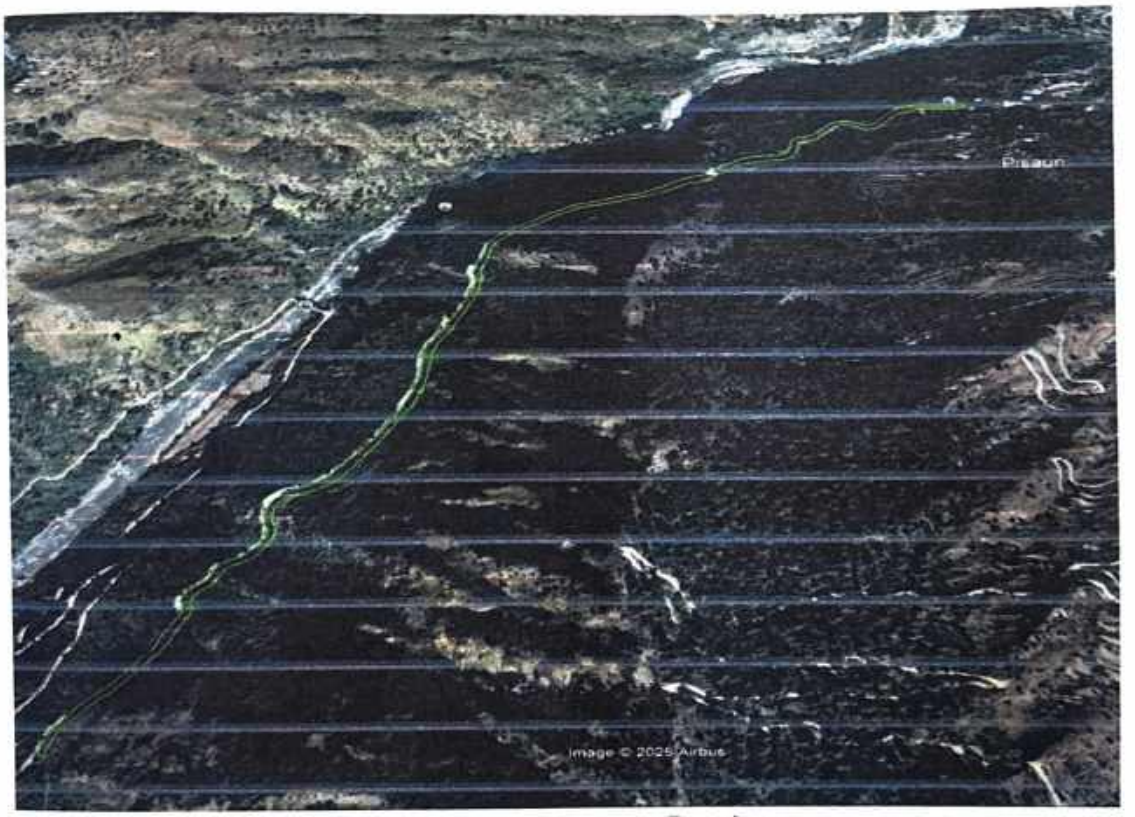

KML of the Linear Project

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन
बड़कोट (उत्तराखण्ड)

Key Faunal species found in Division:

Herbivores:

- Himalayan Tahr or Jungle Goat (Hemitragus jemlahicus)- Most common species occured in cool climate with rocky terrain in the Mountain landscape.
- Sambar (Cervus unicolor) - widespread, especially in densely forested areas.
- Barking Deer (Muntiacus muntjak) - common in forest áreas with ample ground cover.
- Goral (Nemorhaedus goral) - primarily found on the bare rocky Slopes.
- Himalayan Black bear (Selenarctos thibetanus- commonly occured in dense forest cover.
- Wild Pig (Sus scrofa) - fairly common, within the reserve and its peripheral areas.

Carnivores:

- Leopard (Panthera pardus) are the important carnivores and apex predators within the Upper yamuna forest ecosystem.
- Snow leopard (Panthera uncia)- commonly occured in Snow region in Yamunotri.
- Other noteworthy carnivores include: Jungle Cat (Felis chaus offinis), Leopard Cat (Felis bengalensis), Fishing cat (Felis virerrina) Jackal and Small Indian Civet (Viverricula indica) and other.

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

बड़कोट (उत्तरकाशी)

Other Species:

- Flying squirrel (petaurista petaurista)- commonly occured in high altitudinal dense forest.
- The other wild faunal species include: Himalayan Jackal (Canis Aureus indicus), Himalayan Yellow-throated Marten (Martes flavigula), Himalayan Black Bear (Selenarctos thibetanus), Brown Bear (Ursus arctos), Common Langur (Presbytis entellus), Porcupine (Hystrix indica), Red fox (Vulpes montana), Rhesus Macaque (Macaca mulatta) and others.

Common Reptilian species :

Python (Python conics), King Cobra (Ophiophagus Hannah), Common Krait (Bulgares caeruleus), Spectacled Cobra (Najanaja), Indian Monitor Lizard (Varanus bengalensis, Himalayan pit viper (Ancistrodon himalayanse), Green pit viper (Trimeresurus gramineous), Common lizard (Agama tuberculata), Common house Gecko (Hemidactylus brooki) and other species.

Common Fishes:

Hill trout (Schizothorax richardsoni), Rohu (Lobeo rohita), Mahaseer (Barbus tor putitora), Gadela (Nimacheillus beyam), Dhaur (Bareillus bendelisis), Indian Trout (Raimus bola), Bhagnera (Garra gotyla) and other species.

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

Birds: Upper Yamuna Forest Division has enormous avifaunal diversity which includes several species of water birds, Pheasants, partridge and other species are: white crested Kalij pheasant (Lophura leucomelana), Koklass pheasant (Pucrassia macrolophus), Monal Pheasant (Zophophorus impevanus), Black patridge, Chukor, Grey patridge, Rain quail, Himalayan snow cock, Rock Pigeon, wedge tail green pigeon, Fire tailed Sunbird, Red billed blue magpie, Himalayan cuckoo, Common kingfisher, Jungle crow, House crow, King vulture, Brahaminy kite, Golden Eagle, Black Eagle House sparrow, Black headed Jay, Himalayan Bulbil, Common Myna, Jungle Myna and other species.

Key Floral species found in Division

Upper Yamuna Forest Division's forest is a rich and diverse ecosystem. The important floral associations/communities are: Murinda (Abes pindrow), Kanjal (Acer acuminatum), Pangar (Aesculus india), Utis (Ulnus nepalensis), Guryal (Bauhunia purpurea), Semla (Bauhunia semla), Bhojpatra (Betula utilis), Semal (Bombax ceiba), chamkharik (Carpinus viminea), Devdar, Dalchini, Surai, timla and other species of Shrubs, Herbs, Climbers, bamboos, parasite plants, ferns, pteridophytes, Mosses, Bryophytes, lichens, Fungi, Algae etc.

In Upper Yamuna Forest Division, mainly occured chir, Devdar, Kail, Spruce, Moru, Kharsu and broad leaved species forest. Upper yamuna forest is broadly classified as under:

a. Sub tropical pine forest

A1. Himalayan sub tropical chir pine forest

A2. Sub tropical Euphorbia scrub

b. Himalayan moist temperate forest

B1. Banz Oak forest

B2. Moru Oak forest

B3. Moist deodar forest

B4. Western mixed coniferous forest

B5. Moist temperate deciduous forest

B6. Low level Blue pine forest

B7. Oak scrub

B8. Himalayan temperate secondary scrub

B9. Kharsu oak forest

B10. West himalayan upper oak fer forest

B11. Mountain Bamboo forest

B12.Himalayan temperate park land

B 13. Himalayan temperate Pastures

B 14. Elder forest (Utis forest)

c. sub Alpine forest

d. Moist alpine scrub

e. other area (Rock, snow covered)

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़

About the project:

The section of National Highway No. 123 (507) from Thatri section to Muradi village from Km. 75.00 to 101.00 falls under Barkot Forest Division, Barkot, Development Block Naugaon, District Uttarkashi, for which forest land transfer proposal is being prepared. This section of the road is to be constructed as per the specifications of National Highway. This road is the main road connecting Char Dham Yatra. Through this road, cash crops like apple, mango, pomegranate, potato, peas etc. of the local gardeners and farmers are transported to the market. Due to this road being narrow and having heavy traffic, there is a possibility of traffic jam and accidents on the road.

For development of this project diversion of 31.86 Hect. civil forest land required in favor of GoI, Ministry of Road Transport and Highways New Delhi. The NH 123 (507) (Delhi Yamunotri highway) starts from km 0.00 (Herbertpur) and ends at km.111.350 (Barkot bend). This project under consideration falls on NH 123 (507) from from Existing Chainage km 75.00 to 101.00. The main objective of the project is to alleviate the current unsafe condition of the Highway and provide 2-lane with paved shoulder and improvement of its curves and gradients which will minimize the chances of accidents.

S.no.	Required land details of the Project	Area for road (in Ha)
1.	Reserve forest land	0.90
2.	Civil/ Soyam land	30.960
	Total forest Land proposed to be diverted (in Ha) : 31.86	
3.	Naapland	14.940 Ha
	Total Required land (1+2+3)	**46.80 Ha**

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

Project Financial statistics and Cost estimation of Wildlife Management Plan:-

The sanctioned project cost for civil works: - Rs. 217.52 Cr

Total Forest land proposed to be diverted: - 31.86 Ha

Proportionate extent of forest land involved in the project: - 68.08 Percent

Project cost proportionates to diverted forest land 31.86 ha: 68.08 % of 217.52 Cr

= Rs. **148.08 Crore**

(Source: As per the User agency letter no. 52/1C dated 08.01.2026)

Cost estimation of Wildlife Management Plan:

2 % of Rs 148.08 crore = Rs. **2.9616 Crore (Rs 296.16 Lacs)**

Impacts of the project:

The section of National Highway No. 123 (507) from Thatri section to Muradi village from Km. 75.00 to 101.00 falls under Barrkot Forest Division, Barkot, Development Block Naugaon, District Uttarkashi, for which forest land transfer proposal is being prepared. This section of the road is to be constructed as per the specifications of National Highway. This road is the main road connecting Char Dham Yatra. Through this road, cash crops like apple, mango, pomegranate, potato, peas etc. of the local gardeners and farmers are transported to the market. Due to this road being narrow and having heavy traffic, there is a possibility of traffic jam and accidents on the road.

The project will have the following effect on wildlife.

1. Disturbance to the flora and fauna.
2. Direct loss of habitat and fragmentation
3. Increase in the slope, due to cutting of the hill.
4. Degradation of habitat quality
5. Noise inducted psychological and behavioral change
6. Impacts of headlight glare on wildlife
7. Road avoidance by wildlife
8. Injury and mortality of wildlife as well as human in road accidents.
9. Barrier effect where wildlife stops crossing road altogether.
10. Increased human animal conflicts
11. Disruption in the processes that maintain regional wildlife populations.

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़

Proposed management actions and mitigation measures:

The objective of present wildlife mitigation plan is to mitigate the above-mentioned negative effect of the linear project on wildlife and its habitat, which in long run will help in reduction in human wildlife conflict and wildlife conservation. Important interventions proposed in this plan are following: -

1. Wildlife habitat improvement through various means.
2. Sensitization and awareness among people towards wildlife significance.
3. Strengthening of QRT/ RRTs/ Field Staff.
4. Engagement of local people as primary responder (PRT) to HWC cases.
5. Information Signage on road side for safety of wildlife and commuter.
6. Upgradation of departmental facilities i.e. Model Crew Stations/ Barrier etc.
7. Installation of solar lights at village level to minimize HWC.
8. Training and capacity building of field staff and villagers.

Mitigation of impacts during project implementation phase:

1. No labor camps are allowed inside the forest areas.
2. Labor will be trained for protection of trees and conservation and importance of wildlife.
3. Smoking is prohibited in the forest areas and regular monitoring will be undertaken to avoid forest fires.
4. Labor camps will be provided with LPG for cooking and hence illegal felling of trees will be avoided.
5. During construction phase, forest department will depute staff to monitor the activities
6. On site workers near the noise generating equipment shall be provided with noise protection devices like earmuffs/earplugs. Controlled blasting and drilling will be undertaken to avoid the noise pollution.
7. The noise pollution will be checked and maintained by installing sound barricades around crushing plants and by taking up regular maintenance of heavy earth moving vehicles. Selection of equipment with less noise generation will be used.

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़

8. Exhausts of other equipment used for construction (e.g. generators), if any shall be positioned at a sufficient height to ensure dispersal of exhaust emissions and meet the standards set by CPCB. Idle running of vehicles will be minimized during transport and handling activities.
9. Precautions shall be taken to avoid leakage of chemicals and, any hazardous materials due to construction activities.
10. No solid waste shall be dumped in or near the water bodies or rivers.
11. Caution signs shall be provided to alert the drivers about wild animals.
12. The lighting system along the highway shall be made less attractive to birds to avoid collision of birds with vehicles.
13. Silence zone shall be marked and provided with sign boards to alert drivers.
14. Signage for regulation of speed at sensitive locations and Speed limit shall be restricted as per terrain conditions to avoid any collision of wild animals.
15. Signage shall be posted on highway before construction areas informing public about the work and safety provisions.
16. Signage to prevent feeding of wild animals especially langur and monkey on the road.

Works to be undertaken by the user agency:

1. Construction of brakers on the road just near to the safe passage in order to regulate the speed of the vehicles near the safe passage.
2. Retrofitting and enrichment of all existing culverts along the road.

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

Cost estimate for implementation of Wildlife Management & Mitigation Plan

S. No.	Description of Work	Need of the work	Location	Unit	Qty./ Area	Rate per Unit (Rs. in Lakh)	Estimated Cost (Rs. in Lakh)
1	Construction of waterholes for wildlife to curb the water needs of the animals	To cater the water needs of the animals.	On location identified by forest department	No.	25	0.3	7.5
2	Avenue Plantation on the 5m belt on one side of the road.	To provide food and shelter to the wildlife especially birds spps.	At the locations identified by forest department	No. of Trees	2100	0.0431	90.51
3	Removal of invasive species for habitat enrichment	To provide food to the wildlife of the area.	At the locations identified by the forest department	Ha	160	0.08138	13.02
4	Plantation of fruit bearing trees species likes mehal, bhamor, kafal, akhrot, khumani, amla, kachnaar etc with maintenance for 3 years.	In order to address the food requirements of the wild animals.	As per the area identified by forest department	Ha	20	2.503	50.06
5	Installation of various types of signages for awareness of the vehicular passengers	Awareness and mitigation	On locations identified by the forest department	No.	61	0.1	6.1
6	Providing Lights/solar Lights/Recharging Units to affected villages	Mitigation of conflict and safety of villagers	As per the list provided by forest department	No.	120	0.17	20.4
7	Procurement of High-tech modern equipment for QRT/RRT's (Tranquilization Gun, Digital Camera, Camera Trap etc)	For wildlife rescue and effective human wildlife conflict mitigation.	QRT/ RRTs	LS	LS	LS	20
8	CCTV camera System for Barrier	for wildlife offence monitoring	Barkot, Damta	LS	2	LS	1.97
9	Procurement of Bikes for Field staff	For patrolling	All Ranges	No	30	LS	35
10	Awareness, Extension and sensitization of people for wildlife and Human Wildlife Conflict	Awareness and sensitisation	At Various Village level	No.	40	0.15	6

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़।

11	Arms and ammunition	Mitigation of conflict and safety of villagers	Division Level	LS	LS	LS	3
12	Procurements of Fuel for QRT Vehicles	For patrolling and specific operations	Division level	LS	LS	LS	3
13	Long range and short-Range patrolling	For patrolling	All ranges	20	LS	LS	5
14	Strengthening of PRTs (welfare including uniforms, shoes, bag packs, torches, crackers, first aid kit, etc.)	For wildlife rescue and human wildlife conflict mitigation.	Division level	No	100	LS	7.5
15	Procurement of protective Gears for field staff i.e. (Jacket, Shoes, Torch, Cap, Bottle etc.)	For effective patrolling	Division level	No	120	LS	9
16	Procurement of patrolling tools for field staff i.e. camera, Binocular etc	For effective patrolling to ensure wildlife protection	Division level	No	LS	LS	6
17	Strengthening and welfare of QRT/ RRTs members (including uniforms, shoes, bag packs etc.)	For wildlife rescue and human wildlife conflict mitigation.	Division level	No	20	LS	2.5
18	Upgradation of Model crew station	For better HWC management	Division level	No.	1	LS	5
18	Publication, documentation and other administrative expense.	Administrative expenditure	Division level	LS	LS	LS	3
19	Training of forest staff and villagers	Training and capacity building	Division level	No.	5	0.32	1.6
Total-							**Rs. 296.16**
Rs. Two Hundred Ninety-Six Lakh Sixteen Thousand only							

Forest Range Officer
Naugaon, Range, Barnigad

Forest Range Officer
Mugarsanti, Range, Naugaon

Assistant Engineer
NH Division, PWD, Barkot

Executive Engineer
NH Division, PWD, Barkot

Divisional Forest Officer
Upper Yamuna Forest Division, Barkot

वन संरक्षक
यमुना वृत्त
उत्तराखण्ड

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव),
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, बर्नीगाड़

Ministry :	024 - ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS	**Grant:**	- All -
PAO:	- All -	**DDO:**	234444 - Engineer Liaision Officer
Period:	23-11-2025 till 20-02-2026	**Figures In:**	Actuals
External Source:	-All-	**IEC Code**	

Sr. No.	Sanction No.	Bill No.	Sanction Amount	Beneficiary Account No.	Beneficiary Amount	Beneficiary Name	IFSC Code	Accredited Bank	PFMS Transaction Id	PAO/CDDO DSC date & Time Stamp	Debit Status	Credit Status	Scroll Status	Scroll Date	UTR No. (Bank Transaction Id)	Reason For Failure	Physically Verified	External Source Name
524	NH(O)/1371	CP00001815	3,70,20,000.00	15*********8672	3,70,20,000.00	UTTARANCHAL CAMPA	UBIN0996335	CANARA BANK	S022600080064	17-02-2026 15:15:52	Success	Success	Success	18-02-2026	CNRBRS2026021877860435			